पुěतकालय
उ0Ĥ0 राÏय सड़क पǐरवहन Ǔनगम
मुÉयालय लखनऊ

उ०Ĥ०राÏयसड़कपǐरवहनǓनगम

कम[चारȣ (अͬधकाǐरयɉसेͧभÛन)

सेवाǓनयमावलȣ-1981

(16 जून 2025 तकसंशोͬधत)

पǐरवहनभवन

लखनऊ

पुěतकालय
उ0Ĥ0 राÏय सड़क पǐरवहन Ǔनगम
मुÉयालय लखनऊ

S-II

सरकारȣ गजट, उƣर Ĥदेश

उƣर Ĥदेशीय सरकार ɮवारा Ĥकाͧशत

असाधारण

ͪवधायी पǐरͧशçट

भाग-4 खÖड (ख)

(पǐरǓनयत आदेश)

लखनऊ शुĐवार 19 जून 1981

Ïयेçठ 29, 1903 शक संवत्

उƣर Ĥदेश सरकार

पǐरवहन अनुभाग-2

संÉया 3715/30-2-1981

लखनऊ, 19 जून 1981

अͬधसूचना Ĥकȧण[

५०० आ0-262

सड़क पǐरवहन Ǔनगम अͬधǓनयम, 1950 (केÛġȣय अͬधǓनयम संÉया 64 सन् 1950) कȧ धारा 45 (2) (ग) ɮवारा Ĥदƣ शिÈत का Ĥयोग करके और इस ͪवषय पर समèत ͪवɮयमान ͪवǓनयमɉ या आदेशɉ का अǓतĐमण करके, उƣर Ĥदेश राÏय सड़क पǐरवहन Ǔनगम, राÏय सरकार कȧ पूव[èवीकृǓत से उƣर Ĥदेश राÏय सड़क पǐरवहन Ǔनगम कम[चारȣ (अͬधकाǐरयɉ से ͧभÛन) सेवा मɅ भतȸ और उसमɅ Ǔनयुिèत åयिÈतयɉ कȧ सेवा को ͪवǓनयͧमत करने

के लए ŬनàनŬनिæचत वŬनयमावल8 बनाते ह¢ और राÏय सरकार उसे सरकार8 गजट मΛĤकाशत करती है

उ0र Ĥदेश राÏय सड़क पǐरवहन Ŭनगम कम[चार8 (अधकाǐरयɉ से भÛन) सेवा वŬनयमावल8, 1981

भाग एक सामाÛय

1 (1) यह वŬनयमावल8उ0रĤदेशराÏयसड़कपǐरवहनŬनगमकम[चार8 सं¢ वŬनयमावल8, कहोजायगी औरĤारàभ

लागूहोना 2 यह वŬनयमावल8समèतकम[चाǐरयɉ(अधकाǐरयɉसे भÛन) परलागूहोगी सवायउनकम[चाǐरयɉके, जो

(एक) ĤŬतŬनयुिÈत पर,

(दो) संवदा पर,

(तीन) अंशकालक Ǿप मΛ,

काय[कर रहे हɉ :

परÛतुवŬनयम4 ऐसेåयिÈतयɉपरलागूहोगाजोउ0रĤदेशराजकåयरोडवेज वभागमराÏय सरकार क Ŏटÿपणी ĤŬतŬनयुिÈत पर काय[करने वाले åयिÈत अपने मूल वभाग के Ŭनयमɉ, वŬनयमɉआǑद ɮवारा Ŭनयंǒğत हɉगे और संवदा पर काय[करने वाले åयिÈत संवदा कå शतɟ और ŬनबÛधनɉɮवाराŬनयंǒğतहɉगे।

सेवाकåĤाििèथŬत 3-उ0रĤदेशराÏयसड़कपǐरवहनŬनगमकम[चार8(अधकाǐरयɉसे भÛन) सेवाएकऐसीपूव[वतɍ राज

रोडवेज वभाग के [1][4-(1) पूव[ततɍ उ0र Ĥदेश राजकåय रोडवेज वभाग का ऐसा कोई कम[चार8 िजसे कम[चाǐरयɉ और

Ŭनगम मΛĤŬतŬनयुिÈत पर रखा गया है और जो उ0र Ĥदेश राजकåय

रोडवेज संगठन अßय कम[चाǐरयɉ (पदɉ के उ×सादन और

Ŭतथ से यह राÏय सरकार का कम[चार8 नह8ं रह जायेगा।

ĤŬतबÛध यह है क Ŭनगम कå सेवा मΛ इस Ĥकार आमेलत

कम[चाǐरयɉ कå सेवा के ŬनबÛधन औन शत[, शासनादेशसं0 3414/30—2—170—एन—72 Ǒदनांक 5 जुलाई, 1972 तथा उÈत वŬनयमावल8 से श

--(1). वŬनयम 4(1) अधसूचनासंÉया-4259/XXXX-2-1146-N-79, Ǒदनांक 27 अगèत, 1982 (Ĥथम संशोधन) Ŭनयमावल8, 1982 ɮवाराĤŬतèथापतकयागयाजोउ0रĤदेशअसाधारणगजट, वŬनयम 4(1, Ǒदनांक 27 अगèत, 1982 कोĤकाशतहुआ (27.08.1982 सेĤभावी)।

(2) (एक) वत[मान कम[चार8, जो उप वŬनयम (1) के अÛतग[त न आते हɉ या िजÛहΛ वŬनयम 2 केअधीनछूटनद8गयीहो, इसवŬनयमावल8केĤारàभसेएकमासकेभीतरŬनयुिÈतĤाधकार8 कोयाऐसेअÛयĤाधकार8कोिजसेĤधानĤबÛधकइसŬनम0Ŭनयुèतकरे, यहसूचतकरΛगेकवेइसŬनयमावल8ɮवाराŬनयंǒğतहोनाचाहतेह¢यानह8

(दो) यǑदवेइसवŬनयमावल8ɮवाराŬनयिÛğत कयेजानेके लये वकåपकरΛयाअपनेवकåप का Ĥयोग करने मΛवफल रहΛ, तो उनकåŬनयुिÈत कå शतɏ और ŬनबÛधन, जहाँ तक वे इस वŬनयमावल8 से असंगत हɉ, वखिÖडत हो जायΛगे :

परÛतु ऐसे कम[चारा के सàबÛध मΛ जहाँ इस वŬनयमावल8 का कोई उपलÞध संयुÈत ĤाÛतीय औɮयोगक झगड़ɉ का ऐÈट, 1947, Ûयूनतम मजदूर8 अधŬनयम, 1948, मजदूर8संदाय अधŬनयम, 1936, कारखाना अधŬनयम, 1948 या उन पर लागू कसी अÛय अध- Ŭनयम के उपबÛधɉ कå अपे¢ा कम अनुकूल हो, वहां ऐसे अधŬनयम के उपबÛध लागू हɉगे। 2)

(तीन) यǑद ऐसे åयिÈत इस वŬनयमावल8ɮवारा ŬनयिÛğत कये जाने का वकåप न करΛतोउनकåसेवायΛउनकåŬनयुिÈतकेŬनबÛधनɉकेअनुसारसमाÜतकåजास कतीह¢।

संशोधनकरने 5-(1) सरकारकåपूव[èवीकृŬतकेअधीनरहतेहुये, Ŭनगम, बोड[केसंकåपकेĤाधकार कå शिÈत से, इस वŬनयमावल8 का संशोधन, बढ़ाने, घटाने या

बदलने के Ǿप मΛ कर सकता है। ऐसे संशोधन कम[चाǐरयɉ को पǐरपğ ɮवारा या Ǔनगम के नोǑटस बोड[पर Ĥकाͧशत करके या बोड[ɮवारा ͪवǓनयंǒğत कसीअÛयĤकारसेअͬधसूͬचतकयेजायΛगे।

कसी संशोधन को अͬधसूͬचत करने मΛ कसी अǓनयͧमतता या आकिèमक लोप से ऐसा संशोधन अवͬधमाÛय नहȣं होगा।

ͪवǓनयमɉको ͧशͬथल करने कȧ शिÈत

6-जहाँबोड[कायहसमाधानहोजाय कसेवाशतɟसेसàबिÛधत कसी ͪवǓनयमकेͩĐयाÛवयन से ͩकसी ͪवͧशçट मामले मΛ अनुͬचत कǑठनाई होती है. वहां वह इस ͪवǓनयमावलȣ मΛ कसी बात के होते हुये भी ͩकÛतु सरकार कȧ पूव[èवीकृǓत से उस सीमा तक और ऐसी शतɟ के अधीन रहते हुये िजÛहΛ वह मामले मΛ Ûयायसंगत और साàयपूण[रȣǓत से काय[वाहȣ करने के ͧलये आवæयक समझ, उस ͪवǓनयम कȧ अपे¢ाओं से अͧभमुिÈत दे सकता है या उसे ͧशͬथल कर सकता है।

¹[7. ͪवǓनयमɉकाǓनव[चनलकरनेकȧशिÈतǓनगममΛǓनǑहतहोगी। कसीसंदेहया Ǔनव[ͪववाद कȧ दशा मΛ मामला Ǔनगम ɮवारा सरकार को ǓनǑद[çट ͩकया जायेगा, िजसका उस पर ͪवǓनæचय अिÛतम होगा"]

---

(1)ͪवǓनयम 7 अͬधसूचनासंÉया-4259/XXXX-2-1146-N-79, Ǒदनांक 27 अगèत, 1982 (Ĥथम संशोधन) Ǔनयमावलȣ, 1982 ɮवाराĤǓतèथाͪपतकयागयाजोउƣरĤदेशअसाधारणगजट, ͪवǓनयम 7 (1, Ǒदनांक 27 अगèत, 1982 कोĤकाͧशतहुआ (27.08.1982 सेĤभावी)।

पदɉ का वगȸकरण

8- (1) ǓनयुिÈत, Ǔनयंğण और अनुशासन के Ĥयोजनɉ के ͧलए Ǔनगम मΛ पदɉ का वगȸकरण मोटे तौर पर वहȣ होगा जैसा अनुलÊनक "ख" मΛ उिãलͨखत है।

(2) ͩफर भी बोड[पदɉ के ͩकसी ͪवͧशçट वग[या वगɟ से सàबिÛधत वगȸकरण मΛ पǐरवत[न कर सकता है।

पǐरभाषाय

9-जबतक ͪवषययासÛदभ[मΛकोईĤǓतकूलबातन हो, इस ͪवǓनयमावलȣमΛ, -

(एक) "अͬधǓनयम" का ता×पय[सड़क पǐरवहन Ǔनगम अͬधǓनयम, 1950 (केÛġȣय अͬधǓनयम संÉया 64, सन् 1950) से है;

(दो) "ǓनयुिÈत Ĥाͬधकारȣ" का ता×पय[बोड[या ǓनयुिÈत करने के ͧलए बोड[ɮवारा Ĥाͬधकृत कसी अͬधकारȣ से है;

(तीन) "बोड[" का ता×पय[Ǔनगम के Ǔनदेशक बोड[से है;

(छः) "स¢म Ĥाͬधकारȣ" का ता×पय[बोड[या ͩकसी ऐसे Ĥाͬधकारȣ से है जो इस ͪवǓनयमावलȣ के अधीन ͩकसी या सभी शिÈत का Ĥयोग करने के ͧलए स¢म हो या िजसे ͩकसी या सभी शिÈत के संबंध मΛ बोड[ɮवारा शिÈत Ĥ×यायोिजत कȧ गयी हो;

(सात) "ĤǓतकर भƣा" का ता×पय[ऐसे भƣे से है जो ɬयूटȣ कȧ ͪवशेष पǐरिèथǓतयɉ के कारण उपगत आवæयक Ǔनजी åयय को पूरा करने के ͧलए èवीकृत ͩकया जाय, इसमΛ याğा भƣा भी सिàमͧलत है;

(आठ) "संͪवधान" का ता×पय["भारत का संͪवधान" से है;

(नौ) "ǓनरÛतर सेवा" का ता×पय[अͪविÍछÛन सेवा से है और इसमΛ ऐसी सेवा सिàमͧलत है िजसमΛ केवल बीमारȣ या Ĥाͬधकृत छुɪटȣ, या ͩकसी दुघ[टना या ͩकसी ऐसी हड़ताल जो अवैध न हो या ͩकसी तालाबÛदȣ या कामबÛदȣ जो कम[चारȣ कȧ ओर से ͩकसी ğुǑट के कारण न हो, के कारण åयवधान पड़ा होः

परÛतु ͩकसी ऐसे कम[कार के सàबÛध मΛ िजसने ͩकसी अͬधçठान मΛ बारह कलैÖडर मास कȧ अवͬध मΛ कम से कम 240 Ǒदन काय[ͩकया है, यह समझा जाएगा ͩक उसने एक वष[कȧ ǓनरÛतर सेवा पूरȣ कȧ है;

(दस) "Ǔनगम" का ता×पय[उƣर Ĥदेश राÏय सड़क पǐरवहन Ǔनगम से है;

(Êयारह) "दैǓनक भƣा" का ता×पय[सेवा के ͩकसी ऐसे सदèय को जो अपने मुÉयालय से बाहर दौरे पर हो, èवीकृत भƣा से है;

(बारह) "ɬयूटȣ" के अÛतग[त Ǔनàनͧलͨखत भी है

(एक) पिरवी¢ाधीन åयिĖत यािश¢ु के Øप मΛ सेवा. बशतy, िकसी ÛनयुिĖत या सेवा के सàबÛध मΛ लागूिवशेष Ûनयमj यािवÛनयमj मΛ अÛयथा उपबिÛधक के िसवाय, ऐसी सेवा के पæचात ÛनयुिĖत हो जाय,

(दो) पद Ēहण काल (ïवाइÛनंग टाइम);

(तीन) Ĥ×यालकं (एंट8 रैöबक) उपचार केÛġ पर उपचार कराने वाले िकसी कम[चार8 को औसत वेतन पर èवीकृत अÛतिरĖत छुĚट8;

(चार) कोई अवͬध जो स¢म Ĥाͬधकार8 ɮवारा "ɬयूट8" घोͪषत कȧ जाय;

(तेरह) "कम[चार8" का ता×पय[Ûनगम के िकसी ऐसे कम[चार8 से ह¢ ि◌जस पर यहिवÛनयमावल8 लागू हो;

(चौदह) िकसी कम[चार8 के "पिरवार" का ता×पय[, और इसके अÛतग[त Ûनàनिलͨखत है

(एक) यथािèथÛत, प×नी या पÛत;

(दो) धम[ज सÛतान, सौतेल8 सÛतान या वैध Øप से दƣक ल8 हुई सÛतान जो उसके साथ Ûनवास करते हj और उस पर पूण[तः आͬĮत हो;

(तीन) माता-ͪपता अͪववाǑहत या ͪवधवा बǑहन या भाई जो उसके साथ Ûनवास करते हj और उस पर पूण[तः आͬĮत हj;

("अÛय¢" का ता×पय[बोड[के अÛय¢ से है;

(पाँच) "भारत का नागिरक" का ता×पय[ऐसे åयिĖत से है जो संͪवधान के भाग दो के अधीन भारत का नागिरक हो या समझा जाय;

(पÛġह) "फाइनेि◌Ûशयलहैö डबुक" काता×पय[राÏयसरकारकेĤाͬधकारसेजार8 कयेगये फाइनेि◌Ûशयल हैöड बुक से है;

(सोलह) "Ĥधान ĤबÛधक" का ता×पय[Ûनगम के Ĥधान ĤबÛधक से है;

(सğह) "सरकार" या 'राÏय सरकार' का ता×पय[उƣर Ĥदेश सरकार से है;

(अठारह) "मानदेय" का ता×पय[िकसी ऐसे आवत[क या अनावत[भुगतान से है जो कसी कम[चार8 को उसके ɮवारा सामाÛय काय[के अÛतिरĖत कये गये िकसी आकिèमक Ĥकार या ÛनरÛतर Ĥकार के िवशेष काय[के िलए पािरĮͧमक के Øप मΛ Ûनगम कȧ ÛनÚध से èवीकृत िकया जाय;

(उÛनीस) "पद Ēहण काल" का ता×पय[िकसी कम[चार8 को नये पद का काय[Ēहण करने या उस èटेशन तक जहाँ उसे तैनात िकया जाय, याğा करने के िलए अनु£ात समय से है; (बीस) "सेवा का सदèय" का ता×पय[सेवा मΛ कसी पद पर इस वÛनयमावल8 के अनुसार या इस िवÛनयमावल8 के Ĥारàभ होने के पूव[ͪवǑहत ĤͩĐया के अनुसार ÛनयुĖत िकसी Ûनयͧमत कम[चार8 से है;

(इĖकȧस) "अंशकाͧलक कम[चार8" का ता×पय[िकसी ऐसे कम[चार8 से है ि◌जसे ĤÛत Ǒदन काम के िलए छः घÖटे से कम के िलए Ûनयोि◌जत िकया जाय;

(बाईस) "वेतन" का ता×पय[िकसी कम[चार8 ɮवारा ĤÛत मास Ûनàनिलͨखत Øप मΛ आहिरत धनराͧश से है --

(एक) पद के िलए èवीकृत मूल वेतन;

(दो) Ĥाͪवͬधक वेतन, िवशेष वेतन और वैयिĖतक वेतन, और

(तीन) कोई अÛय उपलिÞधयाँ, या भƣा ि◌जसे Ûनगम ɮवारा वेतन के Øप मΛ ͪवशेष Øप से वगȸकृत िकया जाय िकÛतु इसके अÛतग[त मंह- गाई भƣा, बोनस, याğा भƣा, अÛतकाल या ऐसा अÛय भƣा नह8ं है;

(तेईस) "वैयिĖतक वेतन" का ता×पय[ऐसे अÛतिरĖत वेतन से है जो िकसी कम[चार8को--

(क) िकसी Ûनयतकाͧलक पद से िभÛन िकसी èथाई पद के सàबÛध मΛ बेतन का पुनर8¢ण िकये जाने के कारण मौͧलक वेतन कȧ हाÛन से या अनुशास- Ûनक काय[वाह8 से िभÛन अÛय Ĥकार से वेतन मΛ कमी से हुई हाÛन से बचाने के िलए, या

(ख) आपवाǑदक पिरिèथÛतयj या Ûनजी बातj को Úयान मΛ रखते हुए, èवीकृत िकया गया हो;

(चौबीस) कसी ͪवͧशçट कम[चार8 के Ûनदȶश मΛ ĤयुĖत कसी पद के "अनुमाÛनत वेतन" का ता×पय[ऐसे वेतन से है ि◌जसका वह हकदार होता, यǑद वह उस पद को मौͧलक Øप से धृत करता और उसके कत[åयj का पालन करता कÛतुइसम वशेषवेतनसिàमͧलतनह8ंहैजबतक ककम[चार8ऐसेउƣर-दाÛय×वपूण[काय[का सàपादनयाÛनव[हननकरेयाउसेऐसेअèवाèØयकरिèथÛतमΛकाय[नकरनापड़ेि◌जसकेसंबंधम वशेषवेतनèवीकृत कयागयाहो,

[1][9 (पांचीस)—पिरवी¢ाधीनåयिĖतकाता×पय[उसåयिĖतसेयहिजसेÛनगमम कसीमौͧलकपद पर कम[चार8 के Øप मΛ ÛनयुिĖत िकया जाय और ि◌जसे पिरवी¢ाधीन अवͬध अथवा बढ़ायी गई पिरवी¢ाधीन अवͬध के संतोषजनक ढ़ग से पूण[होने के पæचात èथायी करना अपेͯ¢त हो।] --

-- (1). ͪवÛनयम 9 (पांचीस) अͬधसूचनासंÉया-4259/XXXX-2-1146-N-79, Ǒदनांक 27 अगèत, 1982 (Ĥथम संशोधन) Ûनयमावल8, 1982 ɮवाराĤÛतèथाͪपत कयागयाजोउƣरĤदेशअसाधारणगजट, 9 (पांचीस) (1, Ǒदनांक 27 अगèत, 1982 कोĤकाͧशतहुआ (27.08.1982 सेĤभावी)।

(छÞबीस) "वǓनयमावल8" का ता×पय[उ×तर Ĥदेश राÏय सड़क पǐरवहन Ǔनगम कम[चार8 (अधकाǐरयɉसे ͧभÛन) सेवा ͪवǓनयमावल8, 1981 से है;

(स×ताईस) "Ǔनयͧमत ǓनयुिÈत" का ता×पय[तेया मΛ सिàमलत ͩकसी पद पर ऐसी ǓनयुिÈत से है जो तदथ["ǓनयुिÈत न हो और इस ͪदǓनयमावल8 के अनुसार चयन के पæचात कȧ गयी हो, या इस ͪवǓनयमावल8के Ĥारàभ होने के पूव[Ǔनगम या स¢म Ĥाͬधकार8 ɮवारा ͪवǑहत ĤͩĐया के अनुसार कȧ गयी हो;

(अɪठाईस) "Ǔनयͧमत कम[चार8" का ता×पय[,

(एक) कम[कारɉ के सàबÛध मΛ, ͩकसी ऐसे कम[चार8 से है िजसने यथािèथǓत पǐरवी¢ा अवͬध या बढ़ाई गयी पǐरवी¢ा अवͬध को सÛतोषजनक ढंग से पूरा कर ͧलया हो; और

(दो) ͩकसी अÛय कम[चार8 के सàबÛध मΛ, ͩकसी ऐसे åयिÈत से है िजसकȧ ǓनयुिÈत तीन मास कȧ नोǑटस पर या उसके बदले मΛ वेतन देकर समाÜत कȧ जा सकती है या ͩकसी ऐसे åयिÈत से है िजसे Ǔनगम के अधीन ͩकसी èवीकृत पद के ĤǓत स¢म Ĥाͬधकार8 के आदेश से समय- सीमा के ǒबना Ǔनयͧमत ͩकया गया हो;

(उÛतीस) "सेवा" का ता×वयं उ×तर Ĥदेश राÏय सड़क पǐरवहन Ǔनगम कम[चार8 अधकाǐरयɉ से भÛन) सेवा से है।

(तीस) "ͪवशेष वेतन" का ता×पय[ͩकसी पद या कम[चार8 को उपलिÞधयɉ मΛ वेतन के Ĥकार कȧ अǓतǐरÈत राͧश से है जो Ǔनàनͧलͨखत बातɉ को Úयान मΛ रखते हुए èवीकृत कȧ जाय -

(क) ɬयूट8 कȧ ͪवशेष Ǿप से कǑठन ĤकृǓत; या

(ख) काय[का उ×तरदाǓय×व मΛ ͪवǓनǑद[çट वृɮͬध ।

(इकतीस) "Ǔनवा[ह भ×ता" का ता×पय[ͩकसी ऐसे कम[चार8 को िजसे वेतन या छुɪट8 का वेतन न ͧमलताहो, Ǒदयेगयेमाͧसकअनुदानसेहै;

(ब×तीस) "मौͧलकवेतन" काता×पय[वेतन(ͪवशेषवेतन, वैयिÈतकवेतनसेͧभÛन) औरǓनगम भरतɮवारा वेतन के Ǿप मΛ कारण िजस पर उसे मौͧलक Ǿप से ǓनयुिÈत ͩकया गया है या ͩकसी संवग[मΛ मौͧलक पदिèथǓत केकारण, हकदारहै;

(तैतीस) "अèथायीकम[चार8" काता×पय[, -

(एक) "कम[कार" के सàबÛध मΛ, ͩकसी ऐसे åयिÈत से है जो त×वतः अèथायी Ĥकार के काय[/काम के ͧलए रखा गया हो, या िजसे èथायी Ĥकार के काय[/काम के सàबÛध मΛ अǓतǐरÈत कम[चार8 के Ǿप मΛ अèथायी तौर पर रखा जाय, बशतȶ ͩक वह तीन मास से Ǔनरंतर Ǔनयोजन मΛ न हो;

(दो) ͩकसी अÛय åयिÈत के सàबÛध मΛ, ऐसे कम[चार8 से है िजसे ͩकसी èथायी या अèथायी पदपरयाउसकेĤǓतअèथायीǾपमΛǓनयोिजत कयागयाहोऔरिजसकȧ ǓनयुिÈतकȧǓनयुिÈतकेǓनबÛधɉकेअनुसारएकमासकȧनोǑटसपरयाउसकेबदलेमवेतन देकर ममाÜत ͩकया जा सकता है;

(चɋतीस) "वेतन का समय-मान" का ता×पय[ऐसे वेतन से है जो इस ͪवǓनयमावल8 मΛवǑहत ͩकÛह8ं शतɉ के अधीन रहते हुए, Ǔनयतकाͧलक वेतन वृɮͬध होने से समय-मान मΛÛयूनतम से बढ़कर अधकतम होता है;

(पɇतीस) "कम[कार" का ता×पय[ͩकसी ͧश¢ु समेत ऐसे åयिÈत से है जो ͩकसी औɮयोͬगक ĤǓतçठान मΛ कोई कुशल या अकुशल, शार8ǐरक पय[वे¢ी, Ĥाͪवधक या ͧलͪपकȧय काय[करने के ͧलये भाड़े या पाǐरतोषक पर Ǔनयोिजत हो, चाहे Ǔनयोजन के ǓनबÛधन èपçट हɉ, या ͪव¢त हɉ, ͩकÛतु इसके अÛतग[त कोई ऐसा åयिÈत नह8ं है, -

(एक) जो ĤबÛधकȧय या ĤशासǓनक है͠सयत से Ǔनयोिजत हो; या

(दो) जो पय[वे¢ी है͠सयत से Ǔनयोिजत होते हुए भी, पाँच सौ ǽपये ĤǓत मांस से अधक वेतन आहǐरत करता हो या चाहे पद से संबɮध अपने कत[åयɉ के कारण या अपने मΛǓनǑहत शिÈतयɉके कारण मुÉयतया ĤबÛधकȧय Ĥकार के कृ×य करता है;

(छ×तीस) "भतɅ का वष[" का ता×पय[ͩकसी कैलेÖडर वष[कȧ पहल8 जुलाई से Ĥारàभ होने वाल8बारहमासकȧअवͬधसेहै।

भाग दो-संवग[

10-(1) ऐसेǓनदȶशɉकेअधीनरहतेहुए. जैसेराÏयसरकारɮवाराǑदयेजाए, पदɉकोसृिजत पदɉकासूजनकरने कȧ शिÈत बोड[मΛ या ͩकसी ऐसे अÛय Ĥाͬधकार8 मΛ िजसे बोड[ɮवारा इस Ǔनͧम× शिÈत Ĥ×यायोिजत और सेवा कȧकȧ जाय, ǓनǑहत होगी।

सदèय संÉया

ǑटÜपणी इस ͪवǓनयमावल8 के Ĥारàभ होने के समय ͪवɮयमान पदɉ कȧ एक सूची अनुलÊनक "ग" मΛ द8 गयी है।

(2) सेवा कȧ सदèय संÉया और उसमΛĤ×येक Įेणी के पदɉ कȧ संÉया उतनी होगी िजतनी बोड[या उपͪवǓनयम (1) मΛǓनǑद[çट कोई अÛय Ĥाͬधकार8ͩकसी ǐरÈत पद को समाÜत कर सकता है या उसे आèथͬगत रख सकता है िजससे कोई åयिÈत ĤǓतकर का हकदार न होगा :

परÛतु यह औरǐक यǑद कोई पद ǐरÈत हो जाय तो उसे Ĥथम परÛतुक के उपबÛधɉ के अधीनरहनेहुये, यथाशीē भराजायेगा।

भाग तीन-भतȸ

भरतीकेİोत 11-(1) सेवाम ǒवभÛनĮेͨणयɉकेपदɉपरभतȸǓनàनͧलͨखत ͩकसीएकयाअͬधकİोतɉ से जैसा बोड[समय-समय पर ǓवǓनæचत करे, कȧ जायगी

(क) सीधी भतȸ ɮवारा ;

(ख) Ǔनगम के ऐसे कम[चाǐरयɉ मɅ से ͧजÛहɉने ठȤक Ǔनàन पद पर कम से कम तीन वष[कȧ सेवा कȧ हो, ͪवभागीय परȣ¢ा या सा¢ा×कार के माÚयम से या बोड[ɮवारा समय- समय परǓवǑहत ͩकसी अÛय रȣǓत से पदोÛनǓत ɮवारा;

(ग) ĤǓतǓनयुिÈत या संǒवदा पर।

(2) उपǓवǓनयम (1) मɅ ͩकसी बात के होते हुए भी, बोड[ɮवारा अनुमोǑदत ͩकसी अÛय İोत से भी भतȸ कȧ जा सकती है।

(3) ऐसे ǓनदेशɊ के अधीन रहते हुये जैसे बोड[ɮवारा Ǒदये जाएं, अपेͯ¢त अहंताएं रखने वाले कम[चारȣभीसीधीभतȸमɅĤǓतयोगीहोनेकेहकदारहɉगे।

आर¢ण 12 अनुसूͬचतजाǓतयɉ, अनुसूͬचतजनजाǓतयɉऔरअÛयĮेͨणयɉकेअßयͬथ[यɉके ͧलए आर¢

भागचार-अहंताए

राçĚȣयता 13 सेवामͩकसीपदपरसीधीभतȸके ͧलएयहआवæयकहै ͩकअßयथȸ-

(क) भारत का नागǐरक हो; या

(ख) ǓतÞबती शरणाथȸ हो जो भारत मɅèथायी Ǔनवास करने के अͧभĤाय से जनवरȣ, 1962 के पूव[भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उɮभव का ऐसा åयिÈत हो ͧजसने भारत मɅèथायी Ǔनवास के अͧभĤाय से पाͩकèतान, बमा[, Įीलंका, या केÛया, उगाÖडा या यूनाइटेड ǐरपिÞलक आफ तÛजाǓनया (पूव[वतȸ तांगाǓनका और जंजीबार) के ͩकसीपूवȸअĥȧकȧदेशसेĤवजन ͩकयाहो;

परÛतुउपयु[ÈतĮेणी(ख) या(ग) केअßयथȸकोऐसाåयिÈतहोनाचाǑहएिजसकेप¢मɅराÏयसरकार ɮवारा पाğता का Ĥमाण-पğ जारȣͩकया गया हो:

परÛतु यह औरͩक Įेणी (ख) के अßयथȸ से यह भी अपे¢ा कȧ जायगीͩक वह पुͧलस उप महाǓनरȣ¢क, गुÜतचर शाखा, उƣर Ĥदेश से पाğता का Ĥमाण-पğĤाÜत कर लɅ :

परÛतु यह भीͩक यǑद कोई अßयथȸ उपयु[Èत Įेणी (ग) का हो तो पाğता का Ĥमाण- पğ एक वष[से अͬधक अवͬध केͧलए, जारȣ नहȣंͩकया जायगा और ऐसे अßयथȸ को एक वष[से अͬधक अवͬध केͧलए के आगे सेवा मɅ इस शत[पर रहने Ǒदया जायगाͩक वह भारत कȧ नागǐरकता ĤाÜत कर लɅ।

ǑटÜपणी- ऐसे अßयथȸ को ͧजसके मामले मɅ पाğता का Ĥमाण-पğ आवæयक हो,ͩकÛतु न तो वह जारȣͩकया गया हो और न देने से इÛकारͩकया गया हो,ͩकसी परȣ¢ा या सा¢ा×कार मɅ सिàमͧलत ͩकया जा सकता है और उसे इस शत[पर अनिÛतम Ǿप से ǓनयुÈत भीͩकया जा सकता हैͩक आवæयक Ĥमाण-पğउसकेɮवाराĤाÜतकर ͧलयाजाययाउसकेप¢मɅजारȣकरǑदयाजाय।

आयु सीघी समय—ͧजतनी आयु [1][14 (1) उƣर Ĥदेश राÏय सड़क पǐरवहन Ǔनगम कȧ सेवाओं मɅ समूह—ग एवं घ के पदɉ पर भतȸ केͧलए Ûयूनतम आयु सीमा 18 वष[एवं अͬधकतम आयु सीमा 40 वष[होगी।

परÛतु अनुसूͬचत जाǓतयɉ, अनुसूͬचत जन—जाǓतयɉ और ऐसी अÛय Įेणीयɉ के, जो सरकार ɮवारा समय परǓवǓनǑद[çट कȧ जाये, अßयͬथ[यɉ कȧ िèथǓत मɅ उÍचतर आयु सीमा उतने वष[अͬधक होगी, ǓवǓनǑद[çट कȧ जाय:

परÛतु यह औरͩक ऐसे अßयͬथ[यɉ कȧ िèथǓत मɅ जो Ǔनगम मɅ पहले से काय[कर रहे हो, उÍचतर सीमा पॉच वष[अͬधक होगी:

परÛतु यह भीͩक Ǔनगमͩकसी अßयथȸ या अßयͬथ[यɉ केͩकसी वग[के सàबÛध मɅ औरͩकसी पद या पदɉ कȧͩकसी Įेणी के सàबÛध मɅ उÍचतर आयु सीमाͧशͬथल कर सकता है यǑद वह उͬचत åयवहार के ͧलए या Ǔनगम के Ǒहत मɅ ऐसा करना आवæयक समझे।]

-- (1)ͪवǓनयम 14(1) अͬधसूचनासंÉया-556/30-22025-30-2099-121-2022, Ǒदनांक 2 जून 2025 (Êयारहवांसंधोधन) Ǔनयमावलȣ, 2025 ɮवाराĤǓतèथाͪपतͩकयागयाजोउƣरĤदेशअसाधारणगजट,ͪवǓनयम 14(1), Ǒदनांक 2 जून 2025को Ĥकाͧशतहुआ (13.06.2025 सेĤभावी)।

(2) Ĥ×येकåयिÈतअपनीĤथमǓनयुिÈतकेसमयआयुकेĤमीणèवǾपहाईèकूलपरȣ¢ायाउसके समक¢ या उससे उÍचतरͩकसी अÛय Ĥथम साव[जǓनक परȣ¢ा मɅ उƣीण[होने का Ĥमाण-पğĤèतुत करेगा। जहांͩकसी अßयथȸ ने कोई ऐसी परȣ¢ा उƣीण[न कȧ हो या उन

कारणj से जो उसके Ŭनयंğण से बाहर हो, ऐसा Ĥमाण-पğĤėतुत करना संभव न हो, वहाँ वह ŬनयुिĒत Ĥाधकार8का समाधान आयु सåबÛधी अÛय Ĥमाण Ĥėतुत करके करायेगा ।

(3)ͩकसी कम[चार8 के जÛम Ǒदनांक को जो उपͪवŬनयम (2) मΛवŬनǑद[çटͩकसी पर8¢ा के Ĥमाण-पğ मΛ अͧभलͨखत हो, या जहाँͩकसी कम[चार8 ने कोई ऐसी पर8¢ा उƣीण[न कȧ हो, वहां उसके जÛम Ǒदनाँक या आयु को जो सेवा मΛ उसके Ĥवेश के समय उसकȧ सेवा पुिėतका मΛअͧभलͨखत कȧ गई हो, यथािėथŬत उसका सह8 जÛम Ǒदनाँक या आयु समझा जायेगा और जÛम Ǒदनांक या आयु को ठȤक करने के ͧलए कोई आवेदन-प×ğ या सßयावेदन ͩकसी भी पǐरिėथŬत मΛĒहणनह8ं कयाजायेगा।

15 सेवामΛभतȸकेलएअßयथȸकाचǐरğऐसाहोनाचाǑहएकवहसेवामΛŬनयोजनकेलए चǐरğसभी Ĥकार से उपयुĒत हो सके। वहः

(एक) यथािėथŬत, ऐसेͪवæवͪɮयालय, महाͪवɮयालय, ͪवɮयालय या संėथा िजसमΛ वह अिÛतम बार पढ़ा हो, के ĤाĒटर या Ĥधानाचाय[से, और

(दो) दो उƣरदायी अͬधकाǐरयj से, जो उसके सåबÛधी न हj और उसके Ŭनजी जीवन से भल8भाँŬत पǐरͬचत हj, सचǐरğता का Ĥमाण-पğĤėतुत करेगा :

परÛतु ŬनयुिĒत Ĥाधकार8ͩकसी अßयथȸ के चǐरğ और पूव[-वृƣके सåबÛध मΛ ऐसी र8Ŭत से और ऐसे Ĥाधकाǐरयj से जैसा आवæयक समझा जाय, अयंतर जाँच कर सकता है।

ǑटÜपणी संघ सरकार याͩकसी राÏय सरकार याͩकसी ėथानीय Ĥाधकार8ɮवारा या संघ सरकार याͩकसी राÏय सरकार के ėवाͧम×वाधान या Ŭनयंğणाधीनͩकसी Ŭनगम या Ŭनकाय ɮवारा, पदÍयुत åयिĒत सेवा मΛ पद पर ŬनयुिĒत के ͧलए पाğ नह8ं होगा। नैŬतक अधमता के ͩकसी अपराध के लएदोष सɮधåयिĒतभीपाğनह8ंहjगे।

16 --सेवामकसीपदपरŬनयुिĒतकेलएऐसापुǽषअßयथȸपाğनह8ंहोगा वैवाǑहकिजसकȧ एक से अͬधक पि×नयाँ जीͪवत हj और न ऐसी मǑहला अßयथȸ पाğ होगी िजसने ऐसे Ĥािėथतŭत पुǽष से ͪववाह ͩकया हो िजसकȧ पहले से कोई प×नी जीͪवत रह8 हो।

परÛतु इस ͪवषय पर सरकार के ͩकसी सामाÛय या ͪवशेष आदेशj के अधीन रहते हुए, Ŭनगम इस ͪवŬनयम के Ĥवत[न से ͩकसी åयिĒत को छूट दे सकता है, यǑद उसका यह समाधान हो जाय ͩक ऐसा करने के ͧलए ͪवशेष कारण ͪवɮयमान है।

17-- (1)ͩकसी अßयथȸ को सेवा मΛͩकसी पद पर तभी ŬनयुिĒत ͩकया जायेगा जब मानͧसक और शार8ǐरक िçट से उसका ėवाėØय अÍछा हो और वह ऐसे सभी शार8ǐरक दोष से मुĒत हो िजससे उसे अपने कत[åयj का पालन करने मΛ बाधा पड़ने कȧ संभावना हो। ͩकसी अßयथȸ को ŬनयुिĒत के ͧलए अंŬतम Ǿप से अनुमोǑदत ͩकये जाने के पूव[उससे यह अपे¢ा कȧ जायेगी ͩक वहमुÉय चͩक×साअͬधकार8याŬनगमɮवारानामŬनǑद[çटया

(2) Ĥ×येकåयिĒतअपनीĤथमŬनयुिĒतकेसमयआयुकेĤमीणėवǾपहाईėकूलपर8¢ायाउसके समक¢ या उससे उंचतर ͩकसी अÛय Ĥथम साव[जŬनक पर8¢ा मΛ उƣीग[होने का Ĥमाण-पğĤėतुत करेगा। जहां ͩकसी अßयथȸ ने कोई ऐसी पर8¢ा उƣीण[न कȧ हो या उन कारणj से जो उसके Ŭनयंğण से बाहर हो, ऐसा Ĥमाण-पğĤėतुत करना संभव न हो, वहाँ वह ŬनयुिĒत Ĥाधकार8का समाधान आयु सåबÛधी अÛय Ĥमाण Ĥėतुत करके करायेगा ।

(3)ͩकसी कम[चार8 के जÛम Ǒदनांक को जो उपͪवŬनयम (2) मΛवŬनǑद[çटͩकसी पर8¢ा के Ĥमाण-पğ मΛ अͧभलͨखत हो, या जहाँ ͩकसी कम[चार8 ने कोई ऐसी पर8¢ा उƣीण[न कȧ हो, वहां उसके जÛम Ǒदनाँक या आयु को जो सेवा मΛ उसके Ĥवेश के समय उसकȧ सेवा पुिėतका मΛअͧभलͨखत कȧ गई हो, यथािėथŬत उसका सह8 जÛम Ǒदनाँक या आयु समझा जायेगा और जÛम Ǒदनांक या आयु को ठȤक करने के ͧलए कोई आवेदन- पğ या सßयावेदन ͩकसी भी पǐरिėथŬत मΛĒहणनह8ं कयाजायेगा।

15 सेवामΛभतȸकेलएअßयथȸकाचǐरğऐसाहोनाचाǑहएकवहसेवामΛŬनयोजन चǐरğके ͧलए सभी Ĥकार से उपयुĒत हो सके। वहः

(एक) यथािėथŬत, ऐसेͪवæवͪɮयालय, महाͪवɮयालय, ͪवɮयालय या संėथा िजसमΛ वह अिÛतम बार पढ़ा हो, के ĤाĒटर या Ĥधानाचाय[से, और

(दो) दो उƣरदायी अͬधकाǐरयj से, जो उसके सåबÛधी न हj और उसके Ŭनजी जीवन से भल8भाँŬत पǐरͬचत हj, सचǐरğता का Ĥमाण-पğĤėतुत करेगा :

परÛतु ŬनयुिĒत Ĥाधकार8ͩकसी अßयथȸ के चǐरğ और पूव[-वृƣके सåबÛध मΛ ऐसी र8Ŭत से और ऐसे Ĥाधकाǐरयj से जैसा आवæयक समझा जाय, अयंतर जाँच कर सकता है।

ǑटÜपणी संघ सरकार या ͩकसी राÏय सरकार या ͩकसी ėथानीय Ĥाधकार8ɮवारा या संघ सरकार या ͩकसी राÏय सरकार के ėवाͧम×वाधान या Ŭनयंğणाधीन ͩकसी Ŭनगम या Ŭनकाय

ßवारा, पदांयुत åयिÈत सेवा मΛ पद पर ǓनयुिÈत के ͧलए पाğ नहȣं होगा। नैǓतक अधमता के ͩकसी अपराधके लएदोष सßधåयिÈतभीपाğनहȣंहɉगे।

16 --सेवाम कसीपदपरǓनयुिÈतकेलएऐसापुǽषअßयथȸपाğनहȣंहोगािजसकȧ वैवाǑहकएक से अधक पि×नयाँ जीवत हɉ और न ऐसी मǑहला अßयथȸ पाğ होगी िजसने ऐसे पुǽष से Ĥ◌ािèथǓत ववाह ͩकया हो िजसकȧ पहले से कोई प×नी जीवत रहȣ हो।

परÛतु इस ͪवषय पर सरकार के ͩकसी सामाÛय या ͪवशेष आदेशɉ के अधीन रहते हुए, Ǔनगम इस ͪवǓनयम के Ĥवत[न से ͩकसी åयिÈत को छूट दे सकता है, यǑद उसका यह समाधान हो जाय ͩक ऐसा करने के ͧलए ͪवशेष कारण ͪवɮयमान है।

17-- (1) ͩकसी अßयथȸ को सेवा मΛ ͩकसी पद पर तभी Ǔनयुिॅत ͩकया जायेगा जब मानसक और शारȣǐरक ◌िç‌ट से उसका èवाèØय अंछा हो और वह ऐसे सभी शारȣǐरक दोष से मुÈत हो िजससे उसे अपने कत[åयɉ का पालन करने मΛ बाधा पड़ने कȧ संभावना हो। ͩकसी अßयथȸ को Ǔनयुिॅत के ͧलए अंǓतम Ǿप से अनुमोǑदत ͩकये जाने के पूव[उससे यह अपे¢◌ा कȧ जायेगी ͩक वहमुÉय चक×साअधकारȣयाǓनगमɮवारानामǓनǑद[çटया

अनुमोǑदतकसीअÛय चक×साअधकारȣ, सेअनुलÊनक"ध" म वǑहतĤपğमΛ, èवèथताकाĤमाणपğ◌ःĤèतुतकरे।

(2) Ĝ◌ाइवरकेपदपरǓनयुÈåयिÈतसेयहअपे¢◌ाकȧजायेगी कवहĤǓतवष[याऐसेअÛतराल पर जैसा Ĥधान ĤबÛधक ɮवारा समय-समय पर ͪवǑहत ͩकया जाय, चक×स कȧया परȣ¢ण, वशेषतः ◌िçट परȣ¢ण कराये ।(2) Ĝ◌ाइवर के पद पर ǓनयुÈåयिÈत से यह अपे¢◌ा कȧ जायेगी ͩक वह ĤǓत वष[या ऐसे अÛतराल पर जैसा Ĥधान ĤबÛधक ɮवारा समय-समय पर ͪवǑहत ͩकया जाय, चक×सकȧयापरȣ¢ण, ͪवशेषतः◌िçटपरȣ¢णकराये।

(3) उप वǓनयम(2) मΛǓनǑद[çटèवèथतापरȣ¢णमΛअनुƣीण[åयिÈतकȧसेवायΛसमाÜतकȧजासकतीहै: परÛतुऐसेåयिÈतको, िजसकȧसेवायΛइसĤकारसमाÜतकȧजायΛ, Ǔनगमके ववेका-अनुसारवैकिãपककाम(जाब) काĤèताव कयाजासकताहै।

[1][18. Ǔनàनलखत पदɉ के ͧलए Ûयूनतम अǓनवाय[शैͯ¢क अह[ताएं और अनुभव नीचे दȣ गई तालका के अनुसार हɉगी।

Ďम संÉया	पद	शैͯ¢क अह[ता
1	केÛġĤभारȣ (èटेशन इंचाज[)	भारत मΛ èथापत ͩकसी ͪवæवͪवɮयालय से èनातक कȧ उपाध या राÏय सरकार ɮवारा माÛयता Ĥ◌ाÜत उसके समक¢ उपाध तथा देवनागरȣ ͧलप मΛǑहÛदȣका काय[साधक £◌ान अपे¢त ह¢।
2	यांǒğक(मैकेǓनक)	कसी माÛयता Ĥ◌ाÜत पॉलटेिÈनकसे आटोमोबाइल अथवा मैकेǓनकल इंजीǓनयǐरंग (आटोमोबाइल) मΛ03 वष[का ͫडÜलोमा और िजनके पास भारȣ वाहन का Ĝ◌ाइͪवंग लाइसΛस हो, को वरȣयता।
3	वɮयुतकार (**इलेÈĚȣ शयन**)	इलेिÈĚल सुपरवाइजरȣ लाइसΛस के साथ इले**ÈĚȣ**कल मΛͫडÜलोमा
4	सहायक भÖडार पाल (अंसèटΛट èटोर कȧपर)	कसी माÛयता Ĥ◌ाÜत पॉलटेिÈनक से आटोमोबाइल/मैकेǓनकल इंजीǓनयǐरंग मΛͫडÜलोमा

----

(1) ͪवǓनयम 18 अधसूचनासंÉया-556/30-22025-30-2099-121-2022, Ǒदनांक 2 जून 2025 (Êयारहवांसंधोधन) Ǔनयमावलȣ, 2025 ɮवाराĤǓतèथाͪपतकयागयाजोउƣरĤदेशअसाधारणगजट, ͪवǓनयम 18, Ǒदनांक 2 जून 2025कोĤकाशतहुआ(13.06.2025सेĤभावी) ।

भाग पाँच भतȸ कȧĤͩĐया

19 ǓनयुिÈत Ĥ◌ाधकारȣ वष[के दौरान भरȣ जाने वालȣǐरिÈतयɉ कȧ संÉया और ͪवǓनयम 12 के अधीन अनुसूचत जन जाǓतयɉ और अÛय Įेͨणयɉ के अßयथ[यɉ के ͧलए आर¢त कȧ जाने वालȣǐरिÈतयɉ कȧ संÉया भी अवधाǐरत करेगा। सीधी भतȸɮवारा भरȣ जाने वालȣǐरिÈतयाँ, भतȸ के समय Ĥवृƣ Ǔनयमɉ या आदेशɉ के अनुसार सेवायोजन

काया[लय को सूचत कà जायेगी, और Ĥमुख समाचर- पğï मΛव£ापत भी कà जायेगी। ǐरǐतयाँ Ǔनयुि Ēत Ĥाधकार8 ɮवारा ͪवǓनæचत कसी अÛयर8Ǔतसेभीअधसूचतकàजासकतीह¢।

सीधीभतȸकà 20 (1) सीधीभतȸकेĤयोजनǑके लएǓनयुि ĒतĤाधकार8एकचयनसͧमǓतकागठनĤĐया करेगा िजसमΛ कम से कम तीन सदèय हǑगे ।

[1][20(2) चयन सͧमǓत आवेदन पğǑ कà समी¢ा करेगी और पाğ अßयथ[यǑ से ĤǓतयोगता पर8¢ा/åयवसाǓयक पर8¢ण और/या सा¢ा×कार मΛ जैसा Ǔनयुि Ēत Ĥाधकार8 ɮवारा ͪवǓनæचत करΛ, सिàमलत होने कà अपे¢ा करΛगी:

ĤǓतबÛध यह है क ĤǓतयोगता पर8¢ा का पाɫयĐम ऐसा होगा जैसा Ĥधान ĤबÛधक ɮवारा समय—समय पर ͪवǑहत कया जाए।"]

-- (1)ͪवǓनयम 20(2) अधसूचनासंÉया-4259/XXXX-2-1146-N-79, Ǒदनांक 27 अगèत, 1982 (Ĥथम संशोधन) Ǔनयमावल8, 1982 ɮवाराĤǓतèथापतकयागयाजोउƣरĤदेशअसाधारणगजट,ͪवǓनयम 20(2)(1, Ǒदनांक 27 अगèत, 1982 कोĤकाशतहुआ (27.08.1982 सेĤभावी)।

(3) चयन सͧमǓत ͪवǓनयम 12 के अनुसार अनुसूचत जाǓतयǑ, अनुसूचत जन जाǓतयǑ और अÛय ĮेणयǑ के अßयथ[यǑ का सàयक ĤǓतǓनध×व सुǓनæचत करने कà आवæयकता को Úयान मΛ रखते हुए, उतने अßयथ[यǑ को सा¢ा×कार के लए बुलायेगी िजतने वह उचत समझे ।

(4) चयन सͧमǓत चयन कये गये अßयथ[यǑ कà, उनकàĤवीणता-Đम मΛ, जैसा क लखत पर8¢ा/åयवसाǓयक पर8¢ण और/या सा¢ा×कार मΛ उनको ĤाÜत कुल अंको के योग से Ĥकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यǑद दो या अधक अßयथȸ बराबर-बराबर अंक ĤाÜत करΛ तो लखत पर8¢ा/åयवसाǓयक पर8¢ा मΛ अपे¢ाकृत अधक अंक ĤाÜत करने वाले åयिĒत का नाम उÍचतर èथान पर रखा जायेगा और जहाँ चयन केवल सा¢ा×कार के आधार पर कया जाय वहाँ आयु मΛÏयेçठåयिĒतकानामउÍचतरèथानपररखाजायेगा।

सूचीमΛनामǑकàसंÉयासेअधक(कÛतु25 ĤǓतशतसेÏयादाअधकनह8ं) होगी।चयनसͧमǓतवहसूची Ǔनयुि Ēत Ĥाधकार8 को अĒसाǐरत करेगी ।

(5) उपͪवǓनयमं (4) के अधीन तैयार कà गयी सूची चयन सͧमǓत ɮवारा अंǓतम Ǿप मे कये जाने के Ǒदनाँक से एक वष[या अगला चयन कये जाने तक, इसमΛ जो भी पहले हो, से अधकनह8ंचलेगी।

21) पदोÛनǓतकामानदÖड, अनुपयुĒतकाअèवीकारकरतेहुए, Ïयेçठताहोगी।

पदोÛनǓत मानदÖड माÚयम पदोÛनǓत भतȸ कàĤĐया करेगा

(22) (1) पदोÛनǓत ɮवारा भतȸ Ǔनयुि Ēत Ĥाधकार8ɮवारा गǑठत एक चयन सͧमǓत के ɮवारा से कà जायेगी िजसमΛ कम से कम तीन सदèय हǑगे ।

(2) Ǔनयुि Ēत Ĥाधकार8, Ïयेçठता-Đम मΛ अßयथ[यǑ कà एक पाğता सूची तैयार और उसे उनकà चǐरğ पंिजयǑ और उनसे सàबिÛधत ऐसे अÛय अभलेखǑ के साथ जो उचत समझे जायΛ, चयन सͧमǓत के सम¢ रखेगा। सूची मΛ नामǑ कà संÉया, यथाशĒत, ǐरǐतयǑ कà संÉया कà दुगनी होगी।

अßयथ[यǑ भी

[1][(3) चयन सͧमǓत उपͪवǓनयम (2) मΛǓनǑद[çट अभलेखǑ के आधार पर के नामो पर ͪवचार करेगी। Ĥाͪवधक पदǑ के मामलǑ मΛ चयन सͧमǓत åयवसाǓयक पर8¢ण ले सकती है।]

--- Ǔनयमावल8,

(1)ͪवǓनयम 22(3) अधसूचनासंÉया-4259/XXXX-2-1146-N-79, Ǒदनांक 27 अगèत, 1982 (Ĥथम संशोधन) 1982 ɮवाराĤǓतèथापतकयागयाजोउƣरĤदेशअसाधारणगजट,ͪवǓनयम 22(3)(1, Ǒदनांक 27 अगèत, 1982 को Ĥकाशतहुआ (27.08.1982 सेĤभावी)।

(4) चयनसͧमǓतचयन कयेगयेअßयथ[यǑकàÏयेçठताĐममΛएकसूचीतैयारकरेगीऔरउसेǓनयुि Ēत Ĥाधकार8 को अĒसाǐरत करेगी। सूची मΛ नामǑ कà संÉया ǐरǐतयǑ कà संÉया से अधक (कÛतु 25 ĤǓतशत से Ïयादा अधक नह8ं) होगी।

(5) उपͪवǓनयम (4) के अधीन तैयार कà गई सूची, चयन सͧमǓत ɮवारा अिÛतम Ǿप से तैयार कये जाने के Ǒदनाँक से एक वष[या अगला चयन कये जाने तक, इनमΛ जो भी पहले हो, से अधक नह8ं चलेगी ।

सूची ह8Ǒदनाँक को

23 जहाँ भतȸ उसी Įेणी मΛ और उसी Ēेड मΛ पदोÛनǓत ɮवारा और सीधी भतȸɮवारा एक या एक ह8 समय कà जाय, वहाँ एक संयुĒत चयन सूची तैयार कà जायेगी िजसमΛ पदोÛनǓत ɮवारा

भतȸ कये गये åयिÈतयɉ के नाम, उनकȧ परèपर ÏयेçठÖता के Đम मɅ रखे जायɅगे और उसके पæचात सीधी भतȸɮवारा चयनͩकये गये åयिÈतयɉ के नाम उनकȧ योÊयता के Đम मɅ रखे जायɅगे।

भाग छः Ǔनयुिèत, पǐरवीǯा Ǔनयमͧमतकरण, औरÏयेçठताकरण

Ĥपğ/घोषणा- 24---सीधेभतȸ कयागयाकोईअßयथȸसेवामɅǓनयुÈत कयेजानेकेपूव[:-

(एक) ͪवǓनयम 17 मɅ ͪवǑहत Ĥमाण-पğĤèतुत करेगा;

(दो) Ǔनàनͧलͨखत घोषणा-पğĤèतुत करेगा:-

(क) अपने या अपने पǐरवार के सदèय के, जो उस पर आͬĮत हɉ, èवाͧम×वाधीन समèतèथावरसàपǓकापूण ͪववरणसǑहतघोषणा-पğअनुलÊनक"ङ" म ͪवǑहतĤपğमɅ,

(ख) ǓनगममɅǓनयोिजतकसीåयिÈतसेअपनेसàबÛधकाघोषणा-पğ, और

(ग) ǓनçठापूवǓक और ईमानदारȣ से Ǔनगम कȧ सेवा करने का घोषणा-पğअनुलÊनक "च" मɅ ͪवǑहत Ĥपğ मɅ।

Ǔनयुिèत

25 (1) ͪवǓनयम 12 के उपबÛधɉ के अधीन रहते हुये Ǔनͧमत ǐरिÈत घǑटत होने पर, Ǔनयुिèत Ĥाͬधकारȣ अßयथȸयɉ कȧ नामɉ को उस Đम से लेकर िजसमɅ उनके नाम यथािèथǓत ͪवǓनयम 21, 22 या 23 के अधीन तैयार कȧ गयी सूͬचयɉ मɅ रखे गये हɉ, Ǔनयुिèतयाँ करेगा ।

(2) Ǔनयुिèत Ĥाͬधकारȣ उपͪवǓनयम (1) मɅǓनǑदçट सूͬचयɉ से èथायी या èथानापğǓनयुिèतयां भी कर सकता है। यǑद इन सूͬचयɉ मɅ कोई अßयथȸ उपलÞध न हो तो वह ऐसी Ǔनयुिèतयां इन ͪवǓनयमावलȣ के अधीन Ǔनयुिèत केͧलये पाğåयिÈतयɉ से कर सकता है। ऐसी Ǔनयुिèतयां छः मास के अनाͬधक केͧलये या अगला चयनͩकये जाने तक, इनमɅ जो भी पहले हो, कȧ जायेगी और उÈत अवͬध मɅकसी भी समय समाÜत कȧ जा सकती है। ऐसी Ǔनयुिèतयɉ से पद केͧलयेͩकसी अͬधकार का सूजन नहȣं होगा।

[1][26—ǓनयुिèतĤाͬधकारȣ कसीसमयऔरसमुͬचतचयनसͧमǓतकेअनुमोदनसेचयनसूचीसेऐसे अßयथȸ का नाम हटा सकता है िजसका आचरण और पूववृǓ असंतोषजनक पाया गया हो:

ĤǓतबÛध यह हैͩक ऐसेͩकसी åयिÈत ने पहले हȣ सेवा मɅ काय[भार Ēहण करͧलया हो, यहां उसे सुनवाई का अवसर Ǒदया जायेगा।

-------------- (1)ͪवǓनयम 26 अͬधसूचनासंÉया-4259/XXXX-2-1146-N-79, Ǒदनांक 27 अगèत, 1982 (Ĥथम संशोधन) Ǔनयमावलȣ, 1982 ɮवाराĤǓतèथाͪपतकयागयाजोउǓरĤदेशअसाधारणगजट,ͪवǓनयम 26(1, Ǒदनांक 27 अगèत, 1982 कोĤकाͧशतहुआ (27.08.1982 सेĤभावी)।

27- (1) ऐसे åयिÈत को, जोͪवǓनयम 25 (1) के अधीन सेवा मɅ कसी पद पर ǓनयुÈतͩकया जाय, उसके पद का काय[भार Ēहण करने के Ǒदनांक से एक वष[कȧ अवͬध केͧलये पǐरवीǯा पर रखा जायगा । परÛतु Ǔनयुिèत Ĥाͬधकारȣ उस पद पर या सेवा मɅकसी अÛय समकǯ या उÍचतर पद पर èथानापğ या अèथाई आधार पर कȧ गई ǓनरÛतर सेवा कȧ पǐरवीǯा अवͬध कȧ संगणना करने ĤयोजनाथǓगणना करने कȧ अनुमǓत दे सकता है।

(2) Ǔनयुिèत Ĥाͬधकारȣ ऐसे कारणɉ से जो अͧभͧलͨखतͩकये जायɅगे, अलग-अलग मामलɉ मɅ पǐरवीǯा

पǐरवीǯा अवͬध बढ़ा सकता है, िजसमɅ ऐसा Ǒदनांक ͪवǓनǑदçटͩकया जायेगा, जब तकͩक अवͬध बढ़ाई जाए। परÛतु पǐरवीǯा अवͬध एक वष[से आगे नहȣं बढ़ाई जायेगी।

(3) यǑद पǐरवीǯा अवͬध या बढ़ाई गई पǐरवीǯा अवͬध मɅǓनयुिèत Ĥाͬधकारȣ को यह Ĥतीत होͩक पǐरवीǯाधीन åयिÈत ने अपने अवसरɉ का पया[Üत उपयोग नहȣंͩकया है या संतोष Ĥदान करने मɅअÛयथाͪवफल रहा है तो उसे उस पद पर िजससे उसे पदोÛनǓतͩकया गया हो, Ĥ×यावǓत[तͩकया जा सकता है और यǑद वह सीधे ǓनयुÈतͩकया गया हो तो उसकȧ सेवायɅ समाÜत कȧ जा सकती है।

(4) ऐसापǐरवीǯाधीनåयिÈतिजसेउप ͪवǓनयम(3) केअधीनĤ×यावǓत[त कयाजाययािजसकȧसेवायɅ समाÜत कȧ जाये,ͩकसी ĤǓतकर का हकदार नहȣं होगा।

परÛतु कम[कार कȧ िèथǓत मɅ सेवा कȧ समािÜत उन पर लागूͪवͬध के उपबÛधɉ के अधीन होगी ।

¹[28 पǐरवीǕाधीनåयिĖतकोǓनयुिĖतĤाͬधकार8ɮवारापǐरवीǕाअवͬधअथवाबढ़ाईगईपǐरवीǕाअवͬधकेअÛतमΛ, ͧलͨखतआदेशदेकरèथायीͩकयाजायेगा, यǑद—

(एक) उसकाकाय[औरआचरणसंतोषजनकबतायागयाहो,

(दो) उसकå स×यǓनçठाĤमाͨणतकå गईहो, और

(तीन) ǓनयुिĖतĤाͬधकार8कासमाधानहोजायͩकवहèथायीहोनेकेͧलयेअÛयथाउपयुĖतहै।]

-- (1)ͪवǓनयम 28 अͬधसूचनासंÉया-4259/XXXX-2-1146-N-79, Ǒदनांक 27 अगèत, 1982 (Ĥथम संशोधन) Ǔनयमावलȣ, 1982 ɮवाराĤǓतèथाͪपतͩकयागयाजोउƣरĤदेशअसाधारणगजट,ͪवǓनयम 28(1, Ǒदनांक 27 अगèत, 1982 कोĤकाͧशतहुआ(27.08.1982 सेĤभावी) ।

सेवा

अवͬध के िजतनी अवͬध से नोǑटस तीन माह कå उĖत अवͬध से कम पड़े वेतन भƣे कå, यǑद कोई हो, धनराͧश के बराबर धनराͧश का भुगतान करके ×याग-पव दे सकता है या उसकå सेवायΛ ǓनयुिĖत Ĥाͬधकार8 या इस Ǔनͧमƣ बोड[ɮवारा Ĥाͬधकृत ͩकसी अÛय Ĥाͬधकार8 ɮवारा समाÜत कå जा सकती है;

परÛतु ऐसे कम[चार8 कå सेवायΛ तुरÛत समाÜत कå जा सकती है और सेवा कå ऐसी समािÜत पर वह यथािèथǓत नोǑटस कå अवͬध के ͧलए या उतनी अवͬध के ͧलए िजतनी अवͬध से नोǑटस तीन माह कå उĖत अवͬध से कम पड़े, अपने वेतन और भƣे कå, कोई हो, धनराͧश के बराबर धनराͧश का दावा करने का हकदार होगा;

परÛतु यह औरͩक ǓनयुिĖत Ĥाͬधकार8 या उपयु[Ėत ǓनǑद[çट कोई अÛय अͬधकार8 ऐसे कम[चार8को जो इसͪवǓनयम के अधीन नोǑटस के ǒबना या अपेǕाकृत कम अवͬध का नोǑटस èवीकार करके अपना पद ×याग करे, अवमुĖत कर सकेगा :

परÛतु यह भीͩक जहाँ कोई कम[चार8 कम[कार है, वहाँ उसͪवǓनयम के उपबÛध उस पर लागू ͪवͬध के उपबÛधɉ के अधीन लागू हɉगे।

(2)ͩकसी ऐसे कम[चार8 कå सेवायΛ जो उपͪवǓनयम (1) के अÛतग[त न जाता हो,ͩकसी भी समय कोई कारण बताये ǒबना, ǓनयुĖत Ĥाͬधकार8 या उपͪवǓनयम (1) मΛǓनǑद[çटͩकसी अÛय Ĥाͬधकार8ɮवारा या ऐसे Ĥाͬधकार8 को कम[चार8ɮवाराͧलͨखत नोǑटस देकर या नोǑटस कå अवͬध का वेतन और भƣे का भुगतान करके समाÜत कå जा सकती है, ऐसे नोǑटस कå अवͬध एक माह होगी और उपͪवǓनयम (1) केपरÛतुकɉǑदयेगयेउपबÛधआवæयकपǐरवत[नɉकेसाथलागूहɉगे।

×याग-Ĥत केअनुसारǑदयागयाèवीकार — 30-(1)ͪवǓनयम29 म ͩकसीबातकेहोतेहुयेभी ͪवǓनयम29 ͩकसी कम[चार8 का ×यागपğ Ĥभावी नह8ं होगा जब तक ǓनयुिĖत Ĥाͬधकार8 या बोड[ɮवारा इस Ǔनͧमƣकरना Ĥाͬधकृत ͩकसी अÛय Ĥाͬधकार8ɮवारा उसे èवीकार न कर ͧलया जाय। ऐसा Ĥाͬधकार8èवͪववेकानुसार, ×यागपğèवीकारकरनेसेइÛकारकरसकताहै, यǑदः

(एक) कम[चार8ͩकसीͪवǓनǑद[çटअवͬधकेͧलयेǓनगमकåसेवाकरनेकेͧलवेबाÚयहोऔरवहअवͬध समाÜतनहुईहो:

(दो) कम[चार8Ǔनगम को ͩकसी धनराͧश और / या ͩकसी अÛय दाǓय×व का देनदार हो, जब तकͩक देय धनराͧश का भुगतान न कर Ǒदया जाय या दाǓय×व उÛमोͬचत न हो जाय :

(तीन) अÛय पया[Üत आधार हो जो अͧभͧलͨखत ͩकये जायΛगे ।

Ïयेçठा — 31--(1) Ĥ×येकĮेणीकेपदɉके ͧलयेपृथक-पृथकÏयेçठतासूͬचयांरखीजायΛगी:

परÛतु बोड[या बोड[ɮवारा इस ǓनͧमƣĤाͬधकृत कोई अÛय अͬधकार8ǓनदɅश दे सकता हैͩक ͩकसी ͪवͧशçट Įेणी के पदɉ कå Ïयेçठता सूची सàपूण[Ǔनगम के ͧलये या उसकå इकाइयɉ मΛ Ĥ×येक के ͧलए या इकाइयɉ के समूह के ͧलये अलग-अलग तैयार कå जाय ।

(2)ͩकसी Įेणी के पदɉ मΛ Ïयेçठता ऐसी लगातार सेवा के Ǒदनांक से अवधाǐरत कå जाएगी िजसके पæचात Ǔनयͧमत ǓनयुिĖत हो गई हो और यǑद एक से अͬधक åयिĖत एक ह8 Ǒदनांक को ǓनयुĖत ͩकये जाएं तो उस Đम से, िजसमΛ उनके नाम ǓनयुिĖत के आदेश मΛ रखे गये हɉ, अवधाǐरत कå जायगी :

परÛतु -

(एक) सीधे भतȸ ͩकये गये åयिĖतयɉ कå परèपर Ïयेçठता वह8 होगी जो चयन के समय

अवधाіरत हो और योÊयता सूची मΛ उिãलखत हो;

(दो) पदोÛनÜत ɉवारा ÛनयुÈतͩकये गये åयिÈतयɉ कå परèपर Ïयेçठता वहȣ होगी जो उस पद पर रहȣ हो, िजससे उÛहΛ पदोÛनतͩकया गया हो;

(तीन) जहाँ ÛनयुिÈतयां एक हȣĮेणी मΛ एक हȣǑदनांक को पदोÛनÜत और सीधी भतȸ दोनɉ हȣ Ĥकार से कå जाए वहां ÏयेçठताǓनयम 23 के अनुसार åयिÈतयɉ के नामɉ को Đमबɮध करके अवधाіरत कå जायेगी :

परÛतु यह औरͩक ऐसे कम[चाіरयɉ कå जो राÏय सरकार के कम[चारȣ रहे हɉ और िजÛहɉने Ǔनगम कå सेवा के ͧलए ͪवकãपͩकया हो, परèपर Ïयेçठता बहȣ होगी जो राÏय सरकार के अधीन उनके मूलͪवभाग मΛ रहȣ हो या रहȣ होती।

भाग सात वेतन इ×याǑद

वेतनमान 32-(1) सेवामΛͪवͧभÛनĮेͨणयɉकेåयिÈतयɉकोअनुमÛयवेतनमानऐसाहोगाजोबोड[ɮवारासरकार केपूवा[नुमोदनसेसमय-समयपरअवधाіरत कयाजाय।

(2) ऐसा कम[चारȣ जो सीधे भतȸͩकया जाय, पद के सÛबÛध मΛ लागू समयमान मΛÛयूनतम वेतन आहіरत करेगा :

परÛतु सुयोÊय मामलɉ मΛ बोड[ɮवारा या इस Ûनͧमƣ अͬधकृत Ĥाͬधकारȣɮवारा उÍच Ĥारिàभक वेतन Ǒदया जा सकता है।

(3) जब तक बोड[अÛयथा Ûनदेश न दे, पदोÛनÜत पर वेतन फाइनेिÛशयल हɇड बुक, खÖड दो, भाग दो से चार मΛǑदये गये सुसंगत Ǔनयमɉ के अनुसार Ǔनधा[іरतͩकया जायेगा ।

(14)

33-(1) कम[चारȣकोवाष[कवेतनवृɮͬधसाधारणतयाउपͪवǓनयम(2) के उपबÛधɉ के अनुसार कम[चारȣ के वेतनमान मΛ दȣ गई दर से दȣ जायेगी, जब तक कå वेतनवृɮͬध अनुशासǓनक वेतनवृɮͬध काय[वाहȣ के Ǿप रोकå न गई हो या दɢता रोक पर न हो।

(2) ऐसेसभीकम[चाіरयɉको, िजनकåवेतनवृɮͬधवत[मानĤणालȣकेअनुसारͩकसीकलेÖडरमाह केͧभÛन-ͧभÛन Ǒदनांकɉ को देय हो, उस माह के Ĥथम Ǒदनाँक को वेतनवृɮͬध èवीकृत कåजायेगी ।

[1][(3) यǑदपіरवीɢाअवͬधबढ़ाईजायेऐसेबढ़ाईगयीअवͬध वेतनवृɮͬधकेͧलयेतबतकगणनाकåजायेगीजबतकͩकǓनयुिÈतĤाͬधकारȣअÛयथाǓनद[शनदΛ"]

(1)ͪवǓनयम 33(3) अͬधसूचनासंÉया-4259/XXXX-2-1146-N-79, Ǒदनांक 27 अगèत, 1982 (Ĥथम संशोधन) Ǔनयमावलȣ, 1982 ɮवाराĤǓतèथाͪपतͩकयागयाजोउƣरĤदेशअसाधारणगजट,ͪवǓनयम 33(3)(1, Ǒदनांक 27 अगèत, 1982 कोĤकाͧशतहुआ (27.08.1982 सेĤभावी)।

(4) ऐसेकम[चारȣकå, जोअसाधारणछु͠ȣ, अÚययनसंबंधीछु͠ȣयाइसीĤकारकåͩकसीअÛय छु͠ȣ पर रहने के कारण ɬयूटȣ सेͪवरत रहा हो, वेतनवृɮͬध का Ǒदनांक तबनुǾप आगे बढ़ा Ǒदया जायेगा ओर ऐसी छु͠ȣ कå अवͬध कå गणना वेतनवृɮͬध के Ĥयोजनाथ[नहȣं कå जायेगी।

34-(1)ͩकसीकम[चारȣकोदɢतारोकपारकरनेकåअनुमǓततबतकनहȣंदȣजायेगी दɢतारोकजब तकͩक ǓनयुिÈत Ĥाͬधकारȣ का यह समाधान न हो जायͩक उसने त×परता और अपनी सवȾƣम योÊयता से काय[ͩकया है, उसका काय[और आचरण संतोषजनक न पायाजाय और जब तक उसकå स×यǓनçठा Ĥमाͨणत न कर दȣ जाय ।

(2) दɢतारोककेĤयोजनाथ[िजसǑदनांककोदɢतारोकदेयहो, उसǑदनांककेठȤकपूव[वतȸ पांच वष[कå चाіरğ पंजी कåĤͪवçटयां और उसके अåयवǑहत वàरçठ अͬधकारȣɮवारा दȣ गई काय[सàबÛधी іरपोट[परͪवचारͩकया जायेगा ।

(3) यǑद दɢतारोक पार करने के Ǒदनांक को या उसके पूव[कम[चारȣ को आरोप-पğ तामील कया जाय या उसकेͪवǽɮध अनुशासǓनक काय[वाहȣ आरàभ कå जाएं या उसे Ǔनलिàबतͩकया जाय तो ऐसी काय[वाहȣ / जांच का पіरणाम देखने के पæचात हȣ दɢतारोक के सàबÛध मΛͪवǓनæचयͩकया जायगा। ऐसे Ǒदनांक के पæचात आरàभ कå गई काय[वाǑहयɉ याͩकसी अÛय जाँच केͪवचाराधीन रहने का ऐसी दɢतारोक पर कोई Ĥभाव नहȣं पड़ेगा।

(4) ǓनयुिÈतĤाͬधकारȣयाइसǓनͧमƣअͬधकृतकोईअÛयĤाͬधकारȣदɢतोरोकपररोकेगए कम[चाіरयɉ के मामलɉ कå यहͪवचार करने कå͠ç͠ से ĤǓतवष[समीɢा करेगाͩक Èया उसका काय[ऐसा रहा है िजससे वह दɢतारोक पार करने का हकदार हो सके ।

(5) जहां ͩकसीकम[चारȣको, िजसेदɢतारोकपारकरनेकåअनुमǓतनदȣगईहो, बादमΛ उसे पार करने कå अनुमǓत दे दȣ जाय, वहां उसका वेतन फाइनेिÛशयल हैÖड,बुक, खÖड दो, भाग दो से चार मΛǑदये गये सुसंगत Ǔनयमɉ के अनुसार Ǔनधा[іरतͩकया जायेगा ।

35-कोईकम[चारȣजोएकमाहयाउससेअͬधककåèवीकृतछु͠ȣपरजारहाहोवेतनके80 ĤǓतशत अͬĒमछूटȣ

36-Ǖनगम कसीकम[चार8कोमौलकǾपसेयाअèथायीआधारपरèथानापÛǾपमΛएक या Ǖन
वǕनयम्मतहोगा- (क) ऐसाउंचतमवेतनिजसकावहहकदारहोता,
यǑदउसकåǕनयुिÈतकेवल
एक ह8 पद पर रहती, उस पद पर उसके धारण ि धकार के कारण आहरत कया जा सकता है।

(ख) Ĥ×येकअÛयपदके
लएवहऐसासमुचतवेतनआहरतकरसकताहैजो Ǖनगम
Ǖनधा[रत करे, जो कसी भी दशा मΛ उसके अनुमाǕनत वेतन के (समुġ पार
के वेतन कोछोड़कर) आधेसेअधकनहोगा।

(ग)
यǑदएकयाअधकपदकेसाथĤǕतकरयास×कारभƣेहɉतोवहऐसेĤǕतकर या
स×कार भƣे आहरत करेगा, िजसे Ǖनगम Ǖनधा[रत करे लेकन ऐसे भƣे
सभी पदɉकेसाथĤǕतकरऔरस×कारभƣɉकेकुलयोगसेअधकनह8ंहɉगे:
परÛतुइसǒबǕनयमकेअधीनकोईअǓतरÈतपारĮमकऐसेमामलɉमअनुमÛय
न होगा िजनमΛ एक से अधक पद का काय[भार धूत करने कå अवध एक
माह से कम हो। ऐसे मामलɉ मΛ िजनमΛ यह अवध नौ माह से अधक के आगे
कोई अǓतरÈत पारĮ मकअनुमÛयनहोगा।

भाग आठ-सेवा Ǖनवृƣ और सेवा Ǖनवृƣ लाभ

अधवा[षताकå 37-समूह"ग" काकम[चार858
वष[कåआयुĤाÜतकरनेपरǕनवृƣहोगाऔरसमूह"घ" काआयु ĤाÜत कम[चार8 60 वष[कå
आयु ĤाÜत करने पर सेवा Ǖनवृƣ होगा :
करने पर
सेवाǕनवृƣ

परÛतुयǑदसेवाǕनवृƣकाǑदनाँकमाहकेदूसरेǑदनयाउसकेपæचातपड़ताहैतो
सेवाǕनवृƣकाǑदनाँकमाहकाअिÛतमǑदनहोगा:

अǕनवाय[और 38-(1)ʰवǕनयम37
मΛकसीबातकेहोतेहुएभीǕनयुिÈतĤाधकार8कसीभीसमयèवैिÍछक सेवा कसी
कम[चार8 को (चाहे वह Ǖनयम्मत हो या अèथायी) जो कम[कार न हो, नोǑटस देकर कोई Ǖनवृƣ
कारण बताये ǒबना उसके पचास वष[कå आयु ĤाÜत कर लेने के पæचातू
उससे सेवा Ǖनवृƣ होने कå अपे¢ा कर सकता है। ऐसा कम[चार8 45 वष[कå आयु ĤाÜत कर लेने
के पæचात् या अपनी बीस वष[कå अहंकार8 सेवा पूर8 कर लेने के पæचात् कसी भी समय इसी
Ĥकार Ǖनयुिİत Ĥाधकार8कोनोǑटसदेकरèवेÍछासेसेवाǕनवृƣहोसकताहै।

(2) ऐसेनोǑटसकåअवधतीनमासहोगी:
परÛतु
(एक) ऐमे कसी कम[चार8 कå पचास वष[कå आयु ĤाÜत कर
लेने के पæचात् कसी भी समय ऐसे नोǑटस के ǒबना या अपे¢ाकृत कम अवध का नोǑटस देकर
तुरÛत सेवा Ǖनवृƣ कया जा सकता है और इस Ĥकार सेवा Ǖनवृƣ होने पर कम[चार8
यथािèथǓत नौǑटस कå अवध के लयेयाउतनीअवधके
लएिजतनीअवधसेऐसानोǑटसतीनमाहसेकमपड़े, अपने
बेतनऔरभƣेकå, यǑदकोईहो, उसीदरसेवहअपनीसेवाǕनवृƣकेतुरÛतपूव[आहरणकररहाहो,
धनराशकेबराबरधनराशमाँगनेकाहकदारहोगा; 1

(दो) ǕनयुिÈतĤाधकार8कसीकम[चार8कोǒबनाकसीनोǑटसकेयाअपे¢ाकृतकमअवधकानोǑटसदेने पर, कम[चार8 से नोǑटस के बदले मΛकसी शािèत का भुगतान करने कå अपे¢ा कये ǒबना सेवा Ǖनवृƣ होने कå अनुमǓत दे सकता है :

परÛतुयहऔरकऐसेकम[चार8ɮवारािजसकेवæɮधअनुशासǕनककाय[वाह8वचाराधीनयाअनु¢यातहो, Ǒदया गया उÈत नोǑटस तभी Ĥभावी होगा जब ǕनयुिÈत Ĥाधकार8ɮवारा उरो èवीकार कर लया गया हो, परÛतु कसी अनुÚयात अनुशासǕनक काय[वाह8 कå दशा मΛ उसके नोǑटस कå अवध कå समािÜत के पूव[यह सूचत कया जायेगा क उसे èवीकृत नह8ं कया गया है:

परÛतुयहभी कउपǀवǕनयम(1) केअधीनकसीकम[चार8ɮवाराएकबारद8गईनोǑटसिजनमèवैिÍछक सेवा Ǖनवृƣ कå मांग कå गई हो, ǕनयुिÈत Ĥाधकार8 कå अनुमǓत के ǒबना उसके ɮवारा वापस नह8ं कåजायगी ।

(2) सेवाǕनवृƣपΛशनऔरअÛयसेवाǕनवृƣलाभ, यǑदकोईहɉ, ऐसेकम[चार8को, जोशाननादेशसंÉया 3414/302-170 एन-72 Ǒदनांक 5 जुलाई, 1972 ɮवारा Ǖनयंǒğत हो और ऐसे कसी अÛय कम[चार8 को. जो अपने Ǖनयोजन के ǕनबÛधनɉ के

अनुसार इनका हकदार रहा हो और जो सेवाÜनवृ΄ हो या इम'वÜनयम के अधीन सेवाÜनवृ΄ होने कȧ िजससे अपेͯ¢त कȧ जाय या अनुमÜत दȣ जाये, सुसंगत Ûनयमɉ के उपबÛधɉ के अनुसार और अधीन रहते हुए देय और उपलÞध हɉगे :

परÛतुजहाँइसउपǓवÜनयममΛÜनǑद[çटकोईकम[चारȣइनǓवÜनयमकेअधीनèवैिÍछासेसेवाÜनवृ΄हो या उसे èवेिÍछा से सेवा Üनवृ΄ होने कȧ अनुमÜत दȣ जाय, वहां Ûनयुिèत Ĥाͬधकारȣ उसे पΛशन और उपदान (ĒेÍयुटȣ), यǑद कोई हो, के Ĥयोजनाथ[पांच वष[कȧ या ऐमी अवͬध कȧ, िजसमΛ वह सेवा करता यǑद वह अपने अͬधवष[ता के सामाÛय Ǒदनांक तक बना रहता, इनमΛ जो भी कम हो, अÜतǐरÈत सेवा का लाभ èवीकृत कर सकता है।

èपçटȣकरण (1) 'वÜनयम(1) केअधीनÜनयुिèतĤाͬधकारȣका वÜनæचयिजसमे कसीकम[चारȣसे सेवा Üनवृ΄ होने कȧ अपेͯ¢त कȧ जैसा क उसमΛ वÜनǑद[çट कया जाय तभी कया जायगा जब उÈत Ĥाͬधकारȣको ऐसा करना लोक Ǒहत मΛ या Üनगम के Ǒहत मΛĤतीत हो ͩकÛतु इसमΛ कसी बात का का यह अथ[नहȣं लगाया जायगा क आदेश मΛ लोकǑहत Üनगम के Ǒहत मΛ होने कȧ बात का उãलेख करना अपेͯ¢त है।

(क) यहसमाधानकरनेकेउƧेæयसेककसीकम[चारȣसेइसवÜनयमकेअधीनसेवाÜनवृ΄होनेकȧअपेͯ¢त करना Üनगम के Ǒहत मΛ / लोकǑहत होगा या नहȣं, Ûनयुिèत Ĥाͬधकारȣ कम[चारȣ से सàबिÛधत कसी सामĒी पर 'वचार कर सकता और इसमΛकसी बात का यह अथ[नहȣं लगाया जायेगा क इससे Üनàनलखित कसी बात पर इस Ĥकार 'वचार करना अपविज[त होगा :

(क) कसीकम[चारȣकोकोईदͯ¢तारोकपारकरनेकȧअनुमÜतǑदयेजानेकȧपूव[कȧयाèथानापÛनया मौलक Ǿप मΛ यातदथ[आधार पर कसी पद पर पदोÛनÜत कये जाने के पूव[कȧ अवͬध से सàबिÛधत कोई Ĥविçट; या

(ख) कोईऐसीĤविçटिजसके वǽƨधकोईअßयावेदनवचाराधीनहो, बशतȶĤविçटकेसाथ-साथअßयावेदनपरभी वचारकयाजाय, या

(ग) उ΄रĤदेशसतक[ताअͬधçठानअͬधÜनयम, 1985 केअधीनगǑठतसतक[ताअͬधçठानकȧकोई ǐरपोट[।

(3) ऐसेĤ×येक वÜनæचयकेबारेमΛयहमानाजायेगा कवहलोकǑहतमΛयाÜनगमकेǑहतम कया गयाहै।

(4) पद"ÜनयुिèतĤाͬधकारȣ" काता×पय[ऐसेĤाͬधकारȣसेहैिजसेत×समयसेवाम कसीऐसेपदपर Üनयिमत Üनयुिèत करने कȧ शिÈत हो िजससे सेवा Üनवृ΄होने कȧ अपेͯ¢त कम[चारȣ से कȧ जाय या वह सेवा Üनवृ΄ होना चाहे, और पद "अहंकारȣ सेवा" का वहȣ अथ[होगा जैसा क सेवाÜनवृ΄ होने वाले åयिÈत से सàबिÛधत सुसंगतÜनयमɉमΛǑदयागयाहो।

(5) ÜनयुिèतĤाͬधकारȣकाऐसाĤ×येकआदेशिजसमΛइसवÜनयमकेउपǓवÜनयम(1) केĤथमपरÛतुक के अधीन कसी कम[चारȣ से त×काल सेवा Üनवृ΄ होने कȧ अपेͯ¢त कȧ गयी हो, उसके जारȣ होने के Ǒदनांक से अपराÛह से लागू होगा, परÛतु यǑद आदेश जारȣ होने के Ǒदनांक के पæचात सàबƨ कम[चारȣ सदभाव से और उÈत आदेश के ĤÜत अनͧभ£ता से अपने पद के कत[åयɉ का पालन करता है तो उसका काय[इस तØय के होते हुएभीकवहउसकेपूव[सेवाÜनवृ΄होगया, वैधसमझाजायेगा।

39-(1) (एक) इसउपǓवÜनयमकेखÖड(दो) केउपबÛधɉकेअधीनरहतेहुएÜनगमकाकोई पΛशन और कम[चारȣ पΛशन का हकदार नहȣं होगा, कÛतु वह उपǓवÜनयम (दो) मΛ उिãलखित सेवा Üनवृ΄ लाभ का अÛय सेवा हकदारहोगा। Üनवृ΄

(दो) ऐसाकम[चारȣजोभूतपूव[उ΄रĤदेशराजकȧयरोडवेजमΛराÏयसरकारकाकम[चारȣरहाहो और िजसने Üनगम कȧ सेवा का 'वकãप Ǒदया हो, शासनादेश संÉया 3414/302-170 एन-72, Ǒदनाँक 5 जुलाई, 1972. केअथा[ÛतंगतपΛशनऔरसेवाÜनवृ΄लाभकाहकदारहोगा।

(2) उपÜनयम(1) केउपबÛधɉपरकोईĤÜतकूलĤभावडालेǒबनाकोईकम[चारȣ(िजसमΛऐसे कम[चारȣ भी सिàमलत हɇ जो भूतपूव[उ०Ĥ० राजकȧय रोडवेज मΛ राÏय सरकार कȧ सेवा मΛ रहΛ हɉ) ÜनàनलखितसेवाǓनवृǓतलाभकाहकदारहोगा:

(एक) यथािèथÜतकम[चारȣभͪवçमÜनͬधयासामाÛयभͪवçयÜनͬध;

(दो) उपदानसंदायअͬधÜनयम, 1972; यासुसंगतसरकारȣÜनयमɉकेजोलागूहोतेहो, अनुसार उपदान(Ēेͬयुटȣ);

(तीन) सामूǑहकबीमायोजना, 1976 केअधीनदेयधनराश;

(चार) राÏयकेभीतरयाğाकरनेकेलएवष[मΛएकÜनःशुãकपाǐरवाǐरकपास;

(पांच) सेवाÜनवृ΄केसमयउसेतैनातीकेèथानसेअपनेघरवापसजानेके लएÜनःशुãक पाǐरवाǐरकपास, यǑदवहरेलकाभाड़ाèवीकारनकरे;

(छः) कोईअÛयलाभजोÜनगमƨवारासमय-समयपरèवीकृत कयेजायΛ।

भाग नव - छुǑटो सàबÛधो Üनयम

40-छुǑटȣकादावाअͬधकारकेǾपमΛनहȣं कयाजासकता।जबसेवाकȧआवæयकतानुसारछुǑटȣका ऐसा करना अपेͯ¢त हो, तो कसी भी Ĥकार कȧ छुǑटȣ अèवीकृत करने, उसमΛ कमी करने या उसे रƧ

अͬधका

र

करनेकाववेक, उसेèवीकृतकरनेके लएअधकृतĤाधकार8मΛसुरͯ¢तहɇ।

(18)

41 -छुͪट8केवलडयूट8करकेअिज[तकȧजातीहै।छुͪट8कȧसमािÜतके पæचात् Ģयूट8 से जान बूझकर अनुपिèथत रहने को कदाचार समझा जा सकता है। छुͪट8 अिज[त कर Ģयूट8 से अनु- पिèथत

छुͪट8èवीकृतकरनेसे Ǔनषेध 42ͩकसीऐसेकम[चार8कोछुͪट8èवीकृतनह8ंकȧजायेगीिजसेकदाचार या अद¢ता के कारण सेवा से पदÍयुतͩकया जाना या हटाया जाना हो और ऐसी छुͪट8 से पदÍयुǓत या सेवा से हटाने के Ǒदनाँक को èथगत करना पड़े, या िजसके आचरण के सàबÛध मΛ कोई ͪवभागीय जांच ͪवचाराधीन या अनुǓयात हो:

छुͪट8èवीकृǓत Ĥाधकार8 43-अÛयथाअͧभåयिÈतǾपसेउिãलखतउपबÛधके सवायसेवा Ǔनवृ×त के Ǒदनांक से आगे कȧ अवध कȧ छुͪट8 से ͧभÛन कोई छुͪट8 Ǔनगम केऐसेĤाधकार8 ɮवाराèवीकृǓतकȧजासकतीहैिजसेबोड[Ĥाधकृतकरे।

अवकाशकोĤारंभम और अÛत मΛ सिàमलतकरना 44 रͪववारयाअÛयमाÛयताĤाÜतअवकाशकोऐसीशतɟकेअधीन और ऐसी पǐरिèथǓतयɉ मΛ िजसे बोड[ͪवǑहत करे, छुͪट8 या पद भार Ēहण करने केसमयकेĤारàभमΛयाअÛतमΛसिàमलत कयाजासकताहै:

छुͪट8कासंयोजन 45-अÛययायाउपबिÛधतकेͪवषयपरͪवǓनयमावल8केअधीनͩकसी भी Ĥकार कȧ छुͪट8ͩकसी अÛय Ĥकार कȧ छुͪट8 के अनुĐम या उनके साथ èवीकृतकȧजासकतीहै।

छुͪट8केदौरान Ǔनयोजन 46-कोईकम[चार8जोछुͪट8परहो, स¢मĤाधकार8कȧपूव[èवीकृǓत ĤाÜतͩकये ǒबना कोई सेवा नह8ं करेगा और न कोई Ǔनयोजन èवीकार करेगा।

छुͪट8सेवापस बुलाना 47-(1)ͩकसीकम[चार8कोछुͪट8सेवापसबुलायाजासकताहै, यǑद स¢म Ĥाधकार8Ǔनगम के Ǒहत मΛ ऐसा करना आवæयक समझे ।

(2)ͩकसी कम[चार8 को उसकȧ छुͪट8 कȧ समािÜत के पूव[Ģयूट। पर वापस बुलाने के Ĥ×येक आदेश मΛ उãलेखͩकया जाना चाǑहएͩक Ģयूट8 पर वापस आना वैकिãपक है या अǓनवाय[।

(3) यǑद Ģयूट8 पर आना अǓनवाय[है तो कम[चार8 ऐसे Ǒदनांक से, जब वह उस èटेशन केͧलए रवाना हो जहां पर उसे पहुंचने या Ģयूट8 पर ǐरपोट[करने का आदेश Ǒदया जाए, Ģयूट8 पर समझे जाने और याğा भƣा लेने का हकदार होगाͩकÛतु जब तक वह अपने पद का काय[भार Ēहण न करे, वह केवलछुͪट8वेतनलेगा।

छुͪट8कȧसमािÜत पर Ģयूट8 पर वापस जाना 48 -ऐसाकम[चार8, जोछुͪट8परहो, उसेछुͪट8देनेवालेऐसेĤाधकार8 कȧ अनु- मǓत केǒबना èवीकृǓत छुͪट8 कȧ समािÜत के पूव[Ģयूट8 पर वापस नह8ंआसकताहै।

आकिèमकछुͪट8 49-कोईकम[चार8एककलेÖडरवष[मΛ14 Ǒदनसेअनाधककȧऔर ͩकसी एक ह8 बार मΛ अधक से अधक 6 Ǒदन कȧ आकिèमक छुͪट8 का हकदार होगा, परÛतु यǑद कोई कम[चार8 चालू कलैÖडर वष[के दौरान Ǔनगम कȧ सेवा मΛ काय[भार Ēहण करे तो छुͪट8èवीकृǓत करने वाला Ĥाधकार8 अपने ववेकानुसारआनुपाǓतकआकिèमकछुटͪट8èवीकृǓतकरसकताहै।

आकिèमकछुͪट8 संयोजनकाǓनवेध 50-आकिèमकछुͪट8ͩकसीअÛयछुͪट8केसाथसंयोिजतनह8ंकȧजायेगीऔर बौर अÛय छुͪट8 के कलेÛडर वष[कȧ समािÜत पर åयपगत हो जायेगी ।

अिज[तछुͪट8 ¹[51 समयसमयपरयथासंशोधतफाइनेिशयलहैÖडबुककेĤाͪवधानइस ͪवǓनयमावल8सेशाͧसतसभीकम[चाǐरयɉपरअिज[तअवकाशकȧèवीकृǓतऔरआगणन केͪवषयमΛउसीĤकारलगाͧ ूहɉगेजैसेवेराÏयसरकारकेकम[चाǐरयोपरलागूहोतेहै।]

---

(1).ͪवǓनयम 51(1) अधसूचनासंÉया-2484/30-1146-एन-79, Ǒदनांक18 मई, 1983 (तृतीयसंशोधन) Ǔनयमावल8, 1983 ɮवाराĤǓतèथाͪपतͩकयागयाजोउƣरĤदेशअसाधारणगजट,ͪवǓनयम 51(1), Ǒदनांक 2 माच[, 1983 कोĤकाशतहुआ (02.03.1983 सेĤभावी)।

52ͩकसीकम[चार8कोअपनसàपूण[सेवाकालमΛåयिÈतगतकायɟके लएकुल मलाकर åयिÈतग

तीन सौ पैसठ Ŏदन कȧ छुɪटȣ भी दȣ जा सकती है। वह ऐसी छुɪटȣ पर पर åयतीत कायɟ के कȧ गई अवध के ÊयारहवɅ भाग कȧ दर से अिज[त करेगा और ͩकसी एक बार मɅ ऐसी छुɪटȣ छुɪटȣ नÞबेŎदनसेअधकèवीकृतनहȣंकȧजायेगी।

परÛतुइस वǓनयमकेअधीनकोईछुɪटȣतवतकèवीकृǓतनहȣंकȧजायेगीजब तकͩक स¢म Ĥाͬधकारȣ का यह समाधान न हो जायͩक कम[चारȣ छुटटȣ कȧ समािÜत परɬयूटȣपरवापसआजायेगा।

53 (1) जहाँइसवǓनयमावलȣकेअधीनकोईछुɪटȣअनुमÛयनहोवहाँकम[चारȣ असाधार कȧĤाͬिèथǓत और छुɪटȣ कȧ आवæयकता के èवǾप के अनुसार, जैसाͩक Ǔनगम ɮवारा छुɪटȣ समय-समय परǓवŎहतͩकया जाय, एक ससय मɅ अधक से अधक 180 Ŏदन कȧ और सàपूण[सेवाकालमɅ3 वष[सेअनधककȧअसाधारणछुɪटȣदȣजासकतीहै।

(2) ऐसा Ĥाͬधकारȣ िजसे छुɪटȣèवीकृत करने कȧ शिÈत हो,ͩकसी अनुमÛय छुɪटȣ के साथ या उसके अनुĐम मɅ इसǓवǓनयम के अधीन असाधारण छुɪटȣèवीकृत कर सकता है और छुɪटȣ के ǒबना अनुपिèथǓत कȧ अवध को पूव[गामी Ĥभाव से असाधारण छुɪटȣ मɅ पǐरवǓत[त कर सकता है।

(3) जहांकम[चारȣइस वǓनयमकेअधीनउसेèवीकृतअसाधारणछुɪटȣकȧअधकतमअवधके समािÜत होने पर ɬयूटȣ पुनः Ēहण करने मɅ ͪवफल रहे या ऐसा कम[चारȣ िजसे अधकतम अनुमÛय छुɪटȣ कȧ अपेæना कम Ŏदन असाधारण छुɪटȣèवीकृत कȧ गई हो, ऐसी अवध तक ɬयूटȣ से अनुपिèथत रहे जो èवीकृत कȧ गई असाधारण छुɪटȣ कȫमलाकर उस सीमा से अधक हो जब तकͩक इसͪवǓनयम के अधीन उसे ऐसी छुɪटȣèवीकृत कȧ जा सकती थी, वहाँ ǓनयुिÈत Ĥाͬधकारȣ कम[चारȣ को कारण बताने का अवसर देने के पæचात् आदेश दे सकता हैͩक कम[चारȣ के बारे मɅ यह समझा जायगाͩक उसने पद ×याग कर Ŏदया है और तɮ नुसार वह आदेश के Ŏदनाँक से Ǔनगम केǓनयोजनमɅनहȣंरहगयाहै।

(54 (1)ͩकसीकम[चारȣकोअपनेसàपूण[सेवाकालम ͬचͩक×साĤमाणपğपरकुल ͬच ͩक×साĤमाणबारह माह से अनधक कȧ छुɪटȣèवीकृत कȧ जा सकती है। ऐसी छुɪटȣ केवल ऐसेͬचͩक×सा पğ पर छुɪटȣĤाͬधकारȣ से िजसे बोड[सामाÛय याͪवशेष आदेश से इस Ǔनͧमƣ ͪवǓनŎद[çट करे, ͬचͩक×सा Ĥमाणपğ Ĥèतुत करने पर और एसेͬचͩक×सा Ĥाͬधकारȣɮवाराͧसफाǐरश को गई छुɪटȣ कȧ अवध से अनधक अवध तक दȣ जायगी:

परÛतु जब बारह माह कȧ अधकतम अवध समािÜत हो जाय तो आपणाŎदक मामलɉ मɅसàपूण[सेवा काल मɅ ऐसेͬचͩक×सा Ĥाͬधकारȣ कȧͧसफाǐरशɉ के आधार परͬचͩक×सा Ĥमाण-पğपर छः माह से अनधक कȧ और आगे छुɪटȣèवीकृत कȧ जा सकती है।

कोई कम[चारȣ िजसेͬचͩक×सा Ĥमाण-पğ पर छुɪटȣèवीकृत कȧ गई हो, पहले ऐसे Ĥपğ मɅ, िजसेबोड[ǓवŎहतकरे, èवèथताĤमाणपğŎदयेǒबना, ɬयूटȣपरवापसनहȣंआसकेगा।

55 स¢मĤाͬधकारȣɮवाराकसीमŎहलाकम[चारȣकोĤसूǓतछुɪटȣउसपूरेबेतनपरिजसेवह ĤसूǓतअवकाशऐसी छुɪटȣ पर जाने के Ŏदनांक को पा रहȣ हो. उतनी अवध तक केͧलए दȣ जा सकती है जो :

(एक) Ĥसव कȧ िèथǓत मɅ छुɪटȣĤारàभ होने के Ŏदनांक से तीन माह के अÛत तक हो सकती है;

(दो) गभ[İाव कȧ िèथǓत मɅ (िजसमɅ गभ[पात भी सिàमलत), Ĥ×येक अवसर पर कुल छः सÜताह कȧ अवध कȧ हो सकती है बशतɅ छुटटȣ के आवेदन पğकसी Ĥाͬधकृत ͬचͩक×सा अधकारȣ के Ĥमाण-पğ से समथ[त हो :

परÛतु ऐसी छुɪटȣ सàपूण[सेवा मɅ िजसके अÛतग[त अèथायी सेवा भी है, तीन बार से अधक नहȣं दȣ जायेगी :

परÛतु यह औरͩक ऐसी छुɪटȣ तब तक अनुमÛय न होगी जब तकͩक इस ͪवǓनयम के अधीन èवीकृत कȧ गयी अिÛतम ĤसूǓत छुɪटȣ के समािÜत होने के Ŏदनाँक से कम से कम दो वष[कȧ अवध न बीत जाये :

ŎटÜपणी-ऐसेåयिÈतकȧदशामɅिजसपरकम[चारȣराÏयबीमाअधǓनयम, 1948 के उपबÛध लागू हɉ, इसͪवǓनयम के अधीन छुɪटȣ के सàबÛध मɅ देय छुɪटȣ-वेतन मɅसे तƫूप अवध केͧलए उÈत अधǓनयम के अधीन अनुमÛय लाभ कȧ धनराͧश घटा दȣजाएगी।

अÚययनछुɪटȣ अÚययन-छुɪटȣ	56 (1)ͩकसीकम[चारȣकोभारतमɅयाउनकेबाहरͪवशेषĤकारकाअÚययन करने के Ĥयोजनाथ[याͪवशेष Ĥͧश¢ण ĤािÜत करने केͧलए बोड[ɮवारा दȣ जा सकती है जहां ऐसा Ĥͧश¢ण कम[चारȣ के अÚययन छुɪटȣ के पæचात वापस आने पर Ǔनगम केͧलए उपयोगी होगा :

परÛतु इस ͪवǓनयम के अधीन कोई छुͪट्टȣ नहȣं दȣ जायगी जब तक ͩक कम[चारȣ ऐसे Ĥपğ मɅ, जो ͪवǑहत ͩकया जाय, बÛध-पğ Ǔनçपाǐदत न करे ।

(2) सामाÛयतया, अमाधारण छुͪट्टȣ या ͩकसी Ĥमाण पğ पर छुͪट्टयो से भÛन ͩकसी अÛय छुͪट्टȣ के साथ इस छुͪट्टȣ कȧ èवीकृǓत मɅ ͩकसी कम[चारȣ कȧ Ǔनयͧमत ड्यूटȣ से दȣघा[वकाश कȧ अवͬध मǑहत 28 माह से अͬधक कȧ अनुपिèथǓत अÛतग[त नहȣं होना चाǑहए और कम[चारȣ को सàपूण[सेवा काल मɅ दो वष[से अͬधक यह छुͪट्टȣ नहȣं èवीकृǓत कȧ जाने चाǑहए । एक बार मɅ 12 माह कȧ अवͬध को साधारणतया अͬधकतम उपयुÈत अवͬध समझा जाएगा और इस सीमा का आपवाǑदक कारणɉ के ͧसवाय उãलंघन नहȣं ͩकया जायगा ।

(3) अÚययन छुͪट्टȣ आधा औसत वेतन पर असाधारण छुͪट्टȣ होगी और कम[चारȣकेछुͪट्टȣलेखेकेनामेनहȣडालȣजायगी।

छुͪट्टȣबेतन

57 (1) इसͪवǓनयमावलȣमɅअÛयथाउपबिÛधतके सवायकोईकम[चारȣजो डयूटȣ पर हो, छुͪट्टȣ के दौरान इस ͪवǓनयम के उपͪवǓनयम (2), (3), और (4) मɅ उिãलͨखत रȣǓत से छुͪट्टȣ बेतन लेगा ।

(2) यǑद कोई कम[चारȣ अिजत छुͪट्टयो या ͪवǓनयम 54 मɅ Ǔनधा[ǐरत बारह माह कȧ नीमा मɅ मɅ ͩकसी Ĥमाण-पğ पर छुͪट्टयो पर जाता है तो वह उपͪवǓनयम (3) के अधीन रहते हुए ऐसे वेतन के बराबर ऐसी छुͪट्टȣ पर जाने के समय ͧलया हो, छुͪट्टȣ वेतन पाने का हकदार होगा

परÛतु यǑद कोई कम[चारȣ Ĥ×यावǓत[त ͩकया गया हो या वेतन के समयमान मɅ अपे¢ाकृत कम वेतन वाले ͩकसी पद पर Ǔनयुिèत ͩकया गया हो, तो छुͪट्टȣ वेतन कȧ धनराͧश ऐसे वेतन कȧ धनराͧश के बराबर होगी िजसे वह ऐसे Ǔनàन पद पर पाता, यǑद वह छुͪट्टȣ पर न गया होता।

(3) यǑद कोई कम[चारȣ åयिèतगत कायɟ के आधार पर छुͪट्टयो या ͪवǓनयम 54 के उपͪवǓनयम (1) के परÛतुक के अधीन ͩकसी Ĥमाण-पğ पर छुͪट्टयो पर जाता है तो वह यथा िèथǓत ऊपर उपͪवǓनयम (2) मɅ ͪवǓनǑदçट धनराͧश के आधे के बराबर ͩकÛतु 750 ǽ० से अनͬधक çछुͪट्टȣ वेतन पाने का हकदार होगा : परÛतु 750 ǽ० कȧ सीमा उस दशा मɅ लागू न होगी यǑद छुͪट्टȣ, अÚययन छुͪट्टȣ के Ǔनबधनɉ से ͧभÛन कोई अनुमोǑदत पाɫयĐम पूरा करने के ͧलए हो।

(4) यǑद कोई कम[चारȣ असाधारण छुͪट्टȣ पर जाता है तो वह ͩकसी छुͪट्टȣवेतन का हकदार न होगा।

अͬधवष[तापरछुͪट्टȣका Ǒदनाँकनगदȣकरण वेतन

58-ऐसाकम[चारȣजोशासनादेशसंÉया3514/30-2-170 एन-72 5 जुलाई 1972 ɮवारा ǓनयंǑğत होता है, अपनी सेवा Ǔनवृ×त पर अͬधवाष[कȧ के Ǒदनाँक को देय अिजत छुͪट्टȣ के बदले मɅ Ǔनàनͧलͨखत शतɟ के अधीन छुͪट्टȣ कȧधनराͧशकेबराबरनकदभुगतानपानेकाहकदारहोगा:-

(एक) छुͪट्टȣवेतनकȧधनराͧश180 Ǒदनसेअनͬधकअिजतछुͪट्टȣतक सीͧमत होगी :

(दो) इस Ĥकार èवीकृत छुͪट्टȣ वेतन कȧ धनराͧश सेवा Ǔनवृ×त पर देय होगी और दावे के पूण[समाधान के Ǿप मɅ उसका एकमुæत भुगतान ͩकया जाएगा;

(तीन) उÈत धनराͧश अिज[त छुͪट्टȣ से सàबिÛधत ͪवǓनयम के अधीन अनुमÛय छुͪट्टȣ वेतन और छुͪट्टȣ वेतन पर अͬधवाष[कȧ के Ǒदनाँक को लागू दरɉ पर आकͧलत मंहगाई भÛते के कुल योग के बराबर होगी। ĤǓतकर भ×ता और मकान ͩकराया भ×ता देय नहȣं होगा ।

(चार) अिजत छुͪट्टȣèवीकृत करने के ͧलए स¢म Ĥाͬधकारȣ इस ͪवǓनयम के अधीन भुगतान के सàबÛध मɅ आदेश जारȣ करने के ͧलए स¢म Ĥाͬधकारȣ होगा।

èपçटȣकरण यह ͪवǓनयम ऐसे कम[चाǐरयɉ पर लागू नहȣं होगा िजÛहɉने èवैिÍछक सेवाǓनवृ×ͪ कȧ मांग कȧ हो या िजÛहɅ अǓनवाय[Ǿप से Ǔनवृ×त ͩकया गया हो।

59-(1)ͪवǓनयम58 ͩकमीĤǓतकूलबातकेहोतेहुएभी,ͩकसीकम[चारȣ मृ×युकȧ मृ×यु हो जाने कȧ दशा मɅ देय अिज[त छुͪट्टȣ के बदले मɅ नकद भुगतान, ऐसे

कम[चारȣ होने पर देय

छुïटδकम[चारδ के जो अध वाषकå पर ऐमा भुगतान पाने का हकदार होता, पǐरवार को के बदले मΛ नकद कया जाएगा।

भुगतान (2) ऐसे भुगतान

कå धनराश और अÛय शतɅ वहδ हɉगी जो वǑनयम 58 मΛ दδ गई हɇ।

¹[60. इस वǑनयमावलδ से शासत Ĥ×येक कम[चारδ-

(क) जो शासनादेश संÉया 3414/30—2—170—एन—72 Ǒदनांक 5 जुलाई, 1972 से भी शासत हो, राÏय सरकार ɮवारा समय—समय पर Ǔनग[त आदेशɉ के अनुसार अवकाश नकदδकरण पाने का हकदार होगा।

(ख) जो उपरोÈत् शासनादेश Ǒदनांक 05 जुलाई, 1972 से शासत न हो, Ǔनगम ɮवारा समय—समय पर Ǔनग[त सामाÛय अथवा वशेष आदेशɉ के अनुसार अवकाश नकदδकरण पाने का हकदार होगा।]

---

(1)वǑनयम 60(1) अधसूचनासंÉया-4259/XXXX-2-1146-N-79, Ǒदनांक 27 अगèत, 1982 (Ĥथम संशोधन) Ǔनयमावलδ, 1982 ɮवारा ĤǓतèथापत कयागयाजोउƣरĤदेशअसाधारणगजट,ʰवǑनयम 60(1, Ǒदनांक 27 अगèत, 1982 कोĤकाशतहुआ (27.08.1982 सेĤभावी)।

भाग बस आचरण, और अपील

61-(1) कोईकम[चारδहरसमय

आचरण (क)

पूण[स×याǓनçठाबनायेरखेगा;

(ख)ɬयूटδकेĤǓतǓनçठारखेगा;

(ग) ऐसा कोई काय[नहδं करेगा जो कसी लोक सेवक के लए अशोभनीय हो;

(घ) Ǔनगम के कायɉ के सàबÛध मΛ कड़ी गोपनीयता बनाये रखेगा;

(ङ) Ǔनगम के कायɉ के सàबÛध मΛ अपने Ǔनयुिेत Ĥाधकारδ / Ǔनगम को उपलÞध रहेगा;

(च) Ǔनगम कå ऐसी रδǓत से और ऐसे èथान और समय पर सेवा करेगा जैसा Ǔनदेश Ǒदया जाय;

(छ) सàबिÛधत लोगɉ से अपने सàपूण[åयवहार मΛ वनĨ और आदरपूण[बरताब करेगा; और

(ज) इस वǑनयमावलδ के उपबÛधɉ और सçम Ĥाधकारδɮवारा समय-समब पर जारδकये गये अÛय वधपूण[आदेशɉ का पालन करेगा।

(2) कोई कम[चारδ

(क) Ǔनगम कå सàपƣ का दुरपयोग नहδं करेगा;

(ख) सçम Ĥाधकारδ कå पूव[èवीकृǓत के ǒबना आगे अÚययन करने के लए कसी शçा संèथा मΛ भतȸ नहδं होगा;

ǑटÜपणी शçा संèथा मΛ भतȸ होने के लए इस Ĥकार अपेçत अनुमǓत Ǔनयुिेत Ĥाधकारδɮवारा केवल उपयुÈत मामलɉ मΛ दδ जायगी, जबक उसका यह समाधान हो जाय क ऐसी अनुमǓत देने से कम[चारδ के कत[åयɉ के दçतापूव[क Ǔनवहन पर कोई ĤǓतकूल Ĥभाव नहδं पड़ेगा।

(ग) अपनी िèथǓत और Ĥभाव का कसी ऐसे åयिÈत के लए जो कम[चारδ का या कम[चारδ कå प×नी या पǓत का चाहे वंश से या ववाह से सàबÛधी हो, चाहे ऐसा åयिÈत कम[चारδ पर आĮत हो या न हो, Ǔनयोजन ĤाÜत करने के लए Ĥ×यç या अĤ×यçǾप से दुǾपयोग नहδं करेगा;

(ध) कोई ऐसा Ĥदश[न नहδं करेगा और न उसमΛ भाग लेगा िजससे कोई अपराध करने के लए उƣेजना मले;

(ङ) कसी ऐसे संघ मΛ सिàमलत नहδं होगा और न उसका सदèय बना रहेगा िजसका लêय या उɮदेæय भारत कåĤभुता के Ǒहतɉ या लोक नैǓतकता के ĤǓतकूल हो ।

(3) (एक) जहाँ तक कसी वध ɮवारा वǑनǑद[çट Ǿप से अÛयथा Ĥाधकृत हो, उसके सवाय कोई कम[चारδकसी राजनैǓतक दल या ऐसे संगठन का, जो राजनीǓत मΛ भाग लेता हो, सदèय नहδं होगा न अßयया उससे संबɮध होगा और न कसी राजनैǓतक आÛदोलन या काय[-कलाप मΛ भाग लेगा, न उसको सहायता के Ǿप मΛ चÛदा देगा और न कसी अÛय रδǓत से सहायता करेगा।

(दो) Ĥ×येक कम[चारδ का यह कत[åय होगा क वह अपने पǐरवार के कसी सदèय को कसी ऐसे आÛदोलन या काय[-कलाप मΛ, जो Ĥ×यç या अĤ×यçǾप से वध ɮवारा यथा

èथापतसरकारके लए वÚवंसकहोमाउसकाकारणबने, भागलेनेयाउसकåसहायताकेǾपमचÛदादेनेयामहायताकरनेरोकनेकाĤयासकरेऔरजहाँकोईकम[चारδअपनेपǐरवारकेक सीसदèय

को कसीऐसेआÛदोलनयाकाय[-कलापमΛभागलेनेयाउसकåसहायताकेǾपमΛचÛदादेनेयाअÛयकसी Ĥकार से सहायता करने से रोकने मΛ असमथ[है तो वह Ǔनगम को इस आशय कåǐरपोट[करेगा ।

(तीन) कोई कम[चार8कसी ͪवधान मÖडल या èथानीय Ǔनकाय से संबƨ Ǔनवा[चन मΛ न तो प¢Ĥचार करेगा- न अÛयथा हèत¢ेप करेगा और न अपने Ĥभाव का उपयोग करेगा और न उसमΛ भाग लेगा। ͩफर भी वह अपने मताͬधकार का Ĥयोग कर सकता है, ͩकÛतु जहाँ वह ऐसा करे वहाँ वह ऐसा उपदͧश[त नह8ं करेगा ͩक ͩकम र8Ǔत से उसने मतदान ͩकया है या करना चाहता है।

(चार) ͩकसी कम[चार8 के बारे मΛ केवल इस कारण ͩक वह त×समय Ĥवृ×त ͩकसी ͪवͬध के ɮवारा या अधीन उस पर अͬधरोͪपत कत[åय का सàयक पालन करने मΛ ͩकसी Ǔनवा[चन का संचालन करने मΛ सहायता करता है, यह नह8ं समझा जाएगा ͩक उसने उप ͪवǓनयम के उपबÛधɉ का उãलंघन ͩकया है।

èपçट8करण अपने शर8र या वाहन पर (जब वह उस पर याğा कर रहा हो) ͩकसी Ǔनवा[चक ͬचÛह को Ĥदͧश[त करना इस उप ͪवǓनयम के अथा[Ûतग[त ͩकसी Ǔनवा[चन के सàबÛध मΛ अपने Ĥभाव का Ĥयोग करना समझ जायगा ।

(4) कोई कम[चार8 सम¢ Ĥाͬधकार8 कȧ पूव[èवीकृǓत के ǒबना ͩकसी समाचार-पğ या Ǔनयत काͧलक Ĥकाशन का पूण[तया या अंशतः का èवामी न होगा न उसका संचालन करेगा और न उसके सàपादन या ĤबÛध मΛ सहयोग करेगा ।

(5) कोई कम[चार8 सम¢ Ĥाͬधकार8 कȧ पूव[èवीकृǓत के ǒबना या कत[åयɉ के बɮ- भाव पूण[Ǔनव[हन से अÛयथा Ǔनगम से सàबिÛधत कोई सूचना संसूͬचत नह8ं करेगा रेͫडयो या दूरदश[न Ĥसारण मΛ भाग लेगा और न ͩकसी समाचार-पğ या Ǔनयतकाͧलक पǒğका के ͧलए चाहे ǒबना नाम के या अपने नाम ने या छɮम नाम से या ͩकसी अÛय åयिÈत के नाम से कोई लेख देगा या प×न ͧलखेगा :

परÛतु ऐसी èवीकृǓत अपे¢त न होगी, यǑद ऐसा Ĥसारण या लेख पूण[तया साǑहि×यक, कला×मक, सांèकृǓतक या वै£ाǓनक Ĥकार का हो।

ǑटÜपणी ͩकसी रेͫडयो या दूरदश[न Ĥसारण मΛ या उसके नाम से Ĥकाͧशत ͩकसी नेख मΛ या कसी साव[जǓनक भाषण मΛ कोई कम[चार8 ऐसां ͪववरण नह8ं देगा -

(क) िजसमΛ केÛġ8य या राÏय सरकार कȧ ͩकसी नीǓत या काय[वाह8 कȧ ĤǓतकूल आलोचना का भाव हो या जो Ǔनगम के Ǒहत या लोक Ǒहत के ͪवǽɮध हो,

(ख) िजससे Ǔनगम और राÏय सरकार या ͩकसी अÛय Ǔनगम या जनता के बीच सàबÛध उलझनपूण[हो जाय :

परÛतु इस ͪवǓनयम मΛ कोई बात ͩकसी कम[चार8 ɮवारा Ǒदये गये ऐसे ͪववरण या åयÈत ͩकये गये ͪवचार पर लागू नह8ं होगी जो पूण[तया तØया×मक Ĥकार का हो और िजसे उसकȧ पद8य हैͧसयत मΛयाउसेसɋपेगयेकत[åयɉकासàयक्भलनकरनेमΛगोपनीयĤकारकानसमझाजाय:

परÛतुयहऔर कइसखÖडमΛद8गईबातमाÛयताĤाÜतËेडयूǓनयनकेपदाͬधकार8केǾपऐसे कम[चार8 कȧ सेवा कȧ शतɟ कȧ सुर¢ा के Ĥयोजनाथ[या उसकȧ उÛनǓत के ͧलए उसके ɮवारा अͧभåयÈत सɮभावपूण ͪवचारɉपरलागूनहोगी:

परÛतु यह भी ͩक इस मàबÛध मΛ åयवसाय संघ अͬधǓनयम 1926 या त×समय Ĥवृ×त ͩकसी अÛय ͪवͬध ɮवारा द8 गई èवतÛğता का, इस ͪवǓनयमावल8 के ͩकसी उपबÛध ɮवारा लागू ͩकया जाना नह8 समझा जायगा ।

(5) कोई कम[चार8 कोई दान, दान न èवीकार करेगा न अपने पǐरवार के ͩकसी सदèय या अपनी ओर से काय[काय[करने वाले ͩकसी åयिÈक को èवीकार करने कȧ अनु£ा देगा ।

èपçट8करण - पद "दान" के अÛतग[त Ǔनःशुãक पǐरवहन, भोजन, Ǔनवास या अÛय सेवा या कोई अÛय धन सàबÛधी लाभ भी है जबͩक इसकȧ åयवèथा ऐसे åयिÈत ɮवारा कȧ जाय जो कम[चार8 के Ǔनकट सàबÛधी या åयिÈतगत ͧमğ, िजसका कम[चार8 के साथ कोई पद8य åयवहार न हो, मे ͧभÛन हो ।

ǑटÜपणी-(एक) कोई कम[चार8 ͩकसी ऐसे åयिÈत या फम[से, िजसका उसके साथ पद8य सàबÛध हो, अǓतåययी या बारàबार आǓतØय èवीकार नह8ं करेगा ।

(दो) ͪववाह, वाष[को×सव, अÛ×येिçट या धाͧम[क कृ×यɉ जैसे अवसरɉ पर जब दान करना Ĥचͧलत धाͧम[क या सामािजक Ĥथा के अनुǾप हो कोई कम[चार8 अपने Ǔनकट सàबिÛधयɉ से दान èवीकृत कर सकता है।

(6) कोई कम[चार8 सामािजक, सांèकृǓतक या पुÖयाथ[Ĥकार के अवैतǓनक काय[या साǑहि×यक, कला×मक, वै£ाǓनक या साँèकृǓतक Ĥकार के यदा-कदा ͩकये जाने वाले काय[के ͧसवाय (बशतɏ उससे उसके पद8य कत[åय मΛ कोई बाधा न पड़े) स¢म Ĥाͬधकार8 कȧ पूव[èवीकृिÈत के ǒबना Ĥ×य¢ या अĤ×य¢Ǿप से कसी åयवसाय या åयापार या ͩकसी अÛय Ǔनयोजन मΛ काय[नह8ं करेगा।

(7) Ĥ×येक कम[चार8 ͩकसी एक संåयवहार मΛ 5,000 ǽ० से अͬधक मूãय कȧ èथावर संपǒƣ को अिजन करने या उसके Ǔनèतारण के बारे मΛ स¢म Ĥाͬधकार8 को सूͬचत करेगा ।

(8) Ĥ×येक कम[चार8Ǖनगम मΛĤथम Ǖनयुि Ėत होने पर ऐसी ѐथावर सàपǒƣ के सàबÛध मΛ जो उसके ѐवाम×व मΛ हो, उसने अिज[त कà हो या ͪवरासत मΛĤ ाÜत कà हो या ѐवयं अपने नाम से या पǐरवार के ͩकसी अÛय सदѐय के नाम से जो उसके साथ रहता हो या ͩकसी Ĥकार से उस पर आĮत हो, पɪटे पर या बÛधक ल8 हो, ͪवǑहत Ĥप×ğ मΛ पǐरसंपǒƣ और दाǓय×वɉ कàͪववरणो Ĥѐतुत करेगा।

(9) Ĥ×येक कम[चार8 शेयरɉ ऋणपğɉ (ͫडवΛचर) िजसके अÛतग[त बɇक मΛ जमा धनराͧश इ×याǑद भी है, और ऐसी Ĥ×येक जंगम संपǒƣ के बारे मΛ, उसके ѐवाम×व मΛ हो, उसने अिज[त कà हो या ͪवरासत मΛĤ ाÜत कà हो, यǑद उसका मूãय 5,000 Ǿ0 से अͬधक हɉ, स¢म Ĥ ाͬधकार8 को सूͬचत करेगा ।

62 - पद अवचार कààयापकता पर कोई ĤǓतकूल Ĥभाव डाले ǒबना, करने या न करने के Ǔनàनͧलͨखत कृ×यɉ को अवचार समझा जायेगा :-

(1) Ǔनगम के कारोबार या उसकà संपǒƣ या Ǔनगम के पǐरसर मΛͩकसी अÛय åयिÈत कà सàपǒƣकेसàबÛधमΛकपटयाबेईमानी।

(2) ǐरæवतयाकोईअवैधपाǐरतोषकलेनायादेना।

(3) कम[चार8 या उसकà ओर से ͩकसी अÛय åयिÈत ɮवारा आय के £ ात İ ोतɉ के अनुपात मΛऐसे धन सàबÛधी संसाधन या संपǒƣ रखना िजसके बारे मΛ कम[चार8 समाधानĤद Ǿप मΛ लेखा जोखा न दे सके ।

(4) ǓनयोजनकेसमययाǓनयोजनकेदौराननाम, आयु, ͪपताकानाम, अह[ता. योÊयतायापछल8 सेवा या Ǔनयोजन से सàबिÛधत ͩकसी अÛय ͪवषय के बारे मΛ सूचना देना ।

(5) ऐसी र8Ǔत से काय[करना जो Ǔनगम के ǑहतɊ के ĤǓतकूल हो ।

(6) अपने वǐरçठ अͬधकार8 के ͩकसी ͪवͬधपूण[और उͬचत आदेश कà चाहे अकेले ह8 या ͩकसी अÛय के साथ ͧमलकर, अनधीनता या अव£ ा करना ।

(7) छुटट8 के ǒबना अनुपिѐथत रहना या पया[Üत कारणɉ या समुͬचत या संतोषजनक ѐपçट8करण के ǒबना ѐवीकृत छुɪटो से अͬधक ठहरना :

(8) आदतन देर से आना या अǓनयͧमत उपिѐथत ।

(9) काय[कà उपे¢ ा या कत[åय पालन मΛ उपे¢ ा :

(10) Ǔनगम कàͩकसी संपǒƣ को ¢Ǔत पहुंचाना ।

(11) Ǔनगम के पǐरसर मΛ या उसके Ǔनकट अͬधçठाͪपत ͩकसी सुर¢ ायुिÈत मΛ कोई बाधा पहुंचाना या उसे ǒबगाड़ना ।

(12) Ǔनगम के पǐरसर मΛ मद मƣता या बलवाई या ͪवांछुखल या अभġåयवहार करना या ऐसे पǐरसर के बाहर भी ऐसा करना जब ऐसा åयवहार Ǔनयोजन से सàवƨ या सàबɮध हो ।

(13) अͬधçठान के पǐरसर मΛ जुआ खेलना ।

(14) अͬधçठान के पǐरसर मΛ धूĨपान करना ।

(15) आदतन ऋणĒѐतता और ǑदवाͧलयापǓ ।

(16) शासकàय दѐतावेजɉ को अĤ ाͬधकृत Ǿप से संसूͬचत करना या ͩकसी अĤ ाͬध- कृत åयिÈत को Ǔनगम के काय[और कारोबार के सàबÛध मΛ सूचना देना ।

(17) ɬयूट8 पर रहते समय सो जाना

(18) सम¢Ĥ ाͬधकार8 कà अनुमǓत के ǒबना Ǔनगम के पǐरसर मΛ देश कà त×समय Ĥवृƣͩकसी ͪवͬध ɮवारा या Ǔनगम के Ĥ ाͬधकार के अधीन यथा ѐवीकृत धन के ͧसवाय ͩकसी ͪवͬध ɮवारा या Ǔनगम के Ĥ ाͬधकार के अधीन यथा ѐवीकृत धन के ͧसवाय ͩकसी धन का संĒह करना ।

(19) अनुमǓत या पया[Üत कारण के ǒबना, काय[के Ǔनयत ѐथान से अनुपिѐथत रहना ।

(20) कोई ऐसा कृ×य करना जो नैǓतक अधमता से सàबिÛधत अपराध हो ।

(21) कोई ऐसा कृ×य करना जो अनुशासन और अÍछे åयवहार के ĤǓतकूल हो ।

(22) ͩकसी ऐसे काय[के ͧलए िजससे अवचार होता हो, दुçĤ ेǐरत करना या दुçĤ ेरत करने का Ĥयास करना ।

(27)

शाि ėत 63- कसीकम[चार8परसमुचतऔरपया[ÜतकारणjसेऔरजैसेआगेउपबÛध कयाजाय, Ŭनåनलखतशाि ėतआरोपतकåजासकतीहै. अथा[त्-

छोट8 शाि ėत

(1) पǐरŬनÛदा(सΛसर);

(2) वेतनवृ[ɮधरjकना;

(3) द¢तारोक शर करने के लए अनुपयुÈतता से भÛन आधार पर द¢ता रोक पर रोकना । (4) लापरवाह8 या कसी आदेश के उãलंघन से Ŭनगम को हुई धन हाŬन को पूण[तया या अंशतः वेतन जमाअÛयधनराशसेवसूलकरना।

बड़ी शाि ėत

(5) कसीŬनåन[ेणीयापदपरयासमय-मानम कसीŬनåनĤÐमपरपदावनतकरना;

(6. सेवा से हटाता जो भावी Ŭनयुि Èत के लए अनह[ता न होगा;

(7) सेवासेपदयुतकरनाजोभावीŬनयुि Èतके लएअनह[ताहोगा।

बड़ीशाि ėत कåĤÐया कसी 64-(1) वŬनयम29 केअनुसारसेवासमाÜतकरनेकेअधकारपरकोईĤŬतकूलĤभावदेने डाले ǒबना कसी कम[चार8 के वǽɮध पदयुŬत, सेवा से हटाने या पदावŬत का, िजसके अÛतग[त Ŭनåन पद पर या समयमान या समयमान मΛ कसी Ŭनåन ĤÐम पर पदावनŬत भी है, कÛतु उंच पद पर ėथानापÛनǾप से काय[करने वाले का Ĥ×यावत[न सिàमलत नह8ं है, कोई आदेश (फौजदार8 Ûयायालय मΛ दोषसɮध कराने वाले तØयj पर आधाǐरत आदेश को छोड़कर) तब तक नह8ं कया जायेगा जब तक क उसे अपना ĤŬतवाद करने का यथोिजत अवसर न Ǒदया गया हो।

(2) ऐसे कारणj िजनके आधार पर काय[वाह8 करने का Ĥèताव हो, Ŭनिæचत आरोप या आरोपjका Ǿप Ǒदवा जायगा िजसे ऐसे Ĥėतावत साêय के साथ िजस पर आरोप के समथ[न मΛ Ŭनभ[र कया जाय, आरोपत åयिÈत को संसूचत कया जायगा और उससे युि ÈतयुÈत समय के भीतर अपने ĤŬतवादėवǾप लखत बयान Ĥėतुत करने और यह बताने कå अपे¢ा कå जायेगी क Èया वह कसी सा¢ी का पर8¢ण या उससे िजरह करना चाहता है और Èया वह चाहता है क उसकååयिÈतगत सुनवाई कå जाय। उसे यह भी सूचत कया जायेगा क यǑद वह अपने ĤŬतवादėवǾप कोई लखत बयान Ĥėतुत नहो करता है तो यह उपधारणा कर ल8 जायगी क उसे कुछ भी Ĥėतुत नह8ं करना है और एक प¢ीय आदेश पाǐरत कर Ǒदये जायेगे ।

(3) यǑद कम[चार8 चाहे या जांच अधकार8 आवæयक समझे तो ऐसे आरोपj के संबंध से जो ėवीकार न कये गये हj, मौखक जांच कराई जा सकती है। जांच मΛ ऐसे मौखक साêय कå सुनवाई कå जायेगी िजने जाँच अधकार8 आवæयक समझे। आरोपत åयिÈत सा¢यj से िजरह करने, åयिÈतगत Ǿप से सोêय देने और ऐसे सा¢यj को, िजÛहΛ वह चाहे. बुलाने का हकदार होगा, परÛतु जाँच करने वाला अधकार8 ऐसे पया[Üत कारणj से, जो अभलखत कये जायΛगे, कसी सा¢ी को बुलाने या उसका पर8¢णकरनेसेइÛकारकरसकताहै।

(28)

(4) काय[वाह8मΛसाêयकापया[ÜतअभलेखऔरŬन¢कष[कावबरणऔरउसकेकारणहोगΛ।जांच अधकार8 काय[वाह8 से पृथक आरोपत कå जाने वाल8 शाि ėत के सàबÛध मΛėवयं अपनी सफाǐरश भी कर सकता है। काय[वाह8 ओर अभलेख Ŭनयुि Èत Ĥाधकार8 को भेज Ǒदय जायΛगे।

(5) Ŭनयुि Èत Ĥाधकार8 ऐसे आदेश पाǐरत करेगा िजसे वह अभलेख या ǐरपोट[के आधार पर उचतसमधे।

ǑटÜपणीः(एक) जहांदÖडदेनेवालाĤाधकार8ėवयंआरोपjकåजांचकरे, वहाँवहयǑदउचतसमझे, अपनी ओर से मामले को Ĥėतुत करने के लये कसी कम[चार8 को ŬनयुÈत कर सकता है।

(दो) कम[चार8 अपनी ओर से मामले को Ĥėतुत करने के लए कसी अÛय कम[चार8 कåसहायता ले सकता है कÛतु इसके लए वह कसी वध åयवसायी या कम[चार8 से भÛन कसी åयिÈत कोŬनयुÈतकरनेकाहकदारनह8ंहोगा।

65 (1) जहाँŬनयुि Èतअधकार8याऐसेĤाधकार8कािजसेबोड[ɮवाराइसŬनमƣशिÈतयाँछोट8 शाि ėतĤ×योिजत कå जायΛ, यह समाधान हj जाय क ऐसा माग[अपनाने के लए मा समुचत और पया[Üत देनेकåĤÐया कारण वɮयमान है, वहाँ वह उपवŬनयम (2) के उपबÛधj के अधीन रहते हुए, Ŭनåनलखत एक या अधकशाि ėतयाँआरोपतकरसकताहै, अथा[त्-

(एक) पǐरŬनÛदा(सेसर);

(दो) द¢ता रोक पर रोकना ;

(तीन) समय-मान मΛ वेतन वृˬ्ध रोकना जहाँ को द¢तारोक न हो;

(चार) लापरवाह8 या आदेशǅ के उãलंघन के कारण Ǔनगम को हुई सàपूण[आथ[क हाǓन उसके ͩकसी भाग को वेतन या जमा अÛय धनराͧश से वसूल करना ।

(2) कम[चार8 को उसके ͪवǽɮध लगे आरोपǅ कà सूचना द8 जायगी और उससे युिÈत-युÈत समय के भीतर अपना èपçट8करण Ĥèतुत करने को कहा जायगा। उपͪवǓनयम (1) मΛ ͪवǓनǑदçट Ĥाͬधकार8 ऐसा आदेश देगा जैसा वह उͬचत समझे और, जहाँ शािèत द8 जाय, वहाँ उसके कारण Ǒदये जायΛगे :

परÛतु उÈत ĤͩĐया का अनुसरण करना आवæयक न होगा यǑद ͩकसी कम[चार8 कà स×यǓनçठा Ĥमाͨणतन कयेजानेकेकारणवेतनकेसमयमानमΛउसकàवेतन-वृɮͬधरोकद8जाय।

66-(1) आरोप-पğकम[चार8परåयिÈतगतǾपसेयाकाया[लयअͧभलेखमΛउिãलͨखतपता आरोप-पğ कàपर रिजèĚ8 डाक से तामील ͩकया जायेगा और उसे नोǑटस बोड[पर भी लगाया जा सकता ह¢। तामील और

(2) यǑद कम[चार8 िजसके ͪवǽɮध जांच संिèथत कà गयी हो, उस पर नोǑटस तामील ͩकये काय[वाǑहयां जाने के बावजूद Ǔनिæचत Ǒदनांक को उपिèथत नह8ं होता या Ǒदनाँक कà जानकार8 होने पर काय[वाह8के ͩकसी ĤĐम पर अनुपिèथत रहता है नो जाँच अͬधकार8 एक प¢ीय जाँच कà काय[बाहो कर सकता है ऐसे मामले मΛ जाँच अͬधकार8 सा¢यǅ के बयान अͧभͧलͨखत करेगा, यǑद वह आरोपǅ कàĤकृǓत कà िçटसेऐसाकरनाआवæयकसमझΛऔरबयान, यǑदकोई

हो, औरअÛयअͧभलेखपर ͪवचारकरनेकेपæचात्वहअपनीǐरपोट[, यथािèथǓत, Ǔनयुिक्त Ĥाͬधकार8 या ͪवǓनयम 65 (1) मΛǓनǑदçट Ĥाͬधकार8 को Ĥèतुत करेगा।

[1][66 (अ).कǓतपय मामलǅ मΛ ͪवͧशçट ĤͩĐया —————ͪवǓनयम 64,65 या 66 मΛ द8हुई ͩकसी बात के होते हुये भी अनुशासǓनक Ĥाͬधकार8Ǔनàनͧलͨखत मΛ से ͩकसी पǐरिèथǓत मΛ ͪवǓनयम 63 मΛ ͪवǓनǑद[çट ͩकसी Ĥकार का दÖड अͬधरोͪपत कर सकता है:—

(1) जहां कम[चार8 को अपराͬधक आरोप पर या ÛयाǓयक ͪवचारण ɮवारा तØयǅ कàपुिçट होने अथवा ĤाÜत Ǔनçकष[के आधार पर ͧसɮधदोष ठहराया गया हो, या (2) जहां अनुशासǓनक Ĥाͬधकार8 को ऐसे कारणǅ से िजÛहΛ दहअͧभͧलͨखत करेगा समाधान हो जाए ͩक इन ͪवǓनयमǅ मΛ उपबंͬधत तर8को से कोई जांच करना युिÈतÈत Ǿप से åयवहाय[नह8ं है, अथवा

(3) जहां बोड[का समाधान हो गया है ͩक Ǔनगम को सुर¢ा के Ǒहत मΛ इनकà ͪवǓनयमǅमΛ उपिèथत तर8कǅ से कोई जांच करवाना समीचीन नह8ं है।]

---

(1).ͪवǓनयम 66 (अ) अͬधसूचनासंÉया-345/(1) SECY CORP/98, Ǒदनांक 02 अगèत 1998 (षçटम संशोधन) Ǔनयमावल8, 1998 ɮवाराजोड़ा गयाजोउ×तरĤदेशअसाधारणगजट,ͪवǓनयम 66 (अ), Ǒदनांक 02 अगèत 1998कोĤकाͧशतहुआ (05.09.1997 सेĤभावी) ।

[1][66—ख. (1)—ǓनयुिÈतĤाͬधकार8को ͩकसीसेवाǓनवृ×तकम[चार8, िजसनेǓनगमǑहतǅके ͪवǽɮध काय[ͩकया हो, या Ǔनगम को ͪव×त हाǓन **पहुँचाया** हो, के सेवाǓनवृͪ×तक देयकǅ से या आय के ͩकसी अÛय शीष[से वसूल8ͩकये जाने कà शिÈत होगी।

(2)— ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार8 को ऐसे सेवाǓनवृ×त कम[चार8 कà पेÛशन या उसके ͩकसी आंͧशक भाग Ǔनलàबन (पेÛशन योÊय पदो के मामले मΛ) को èथायी Ǿप से या ͩकसी ͪवǓनǑद[çट अवͬध के ͧलए रोकनΛ या वापस लेनΛ कà शिÈत होगी। और उसे ऐसे सेवा Ǔनवृ×त् कम[चार8ɮवारा Ǔनगम को हुई ͩकसी धनीय हाǓन कà पूर8 या आंͧशक वसूल8 देनΛ कà शिÈत् भी होगी।

परÛतु यह ͩक यǑद Ǔनगम को हुई ͪव×तीय हाǓन कà वसूल8 पूव[Èत ĤͩĐया के माÚयम से नह8ं कà जाती है, तो ǓनयुिÈत Ĥाͬधकार8, Ǔनगम को हुई ͪव×तीय हाǓन कà वसूल8 के ͧलए ͧसͪवल Ûयायालय या अÛयथा से सàपक[कर सकता है।

(3)— ऐसी ͪवभागीय काय[वाह8, यǑद कम[चार8 के सेवाǓनवृ×त् से पूव[या पुनǓन[युिÈत के दौरान ɬयूट8 पर रहते हुए संिèथत नह8ं हुई हो तो:—

(एक) अÚय¢, उ×तर Ĥदेश राÏय सड़क् पǐरवहन Ǔनगम (यूपीएसआरट8सी) के अनुमोदन के पæचात ह8 संिèथत कà जायेगी।

(दो) केवल ऐसी घटना के ͧलए संिèथत कà जायेगी जो ऐसी काय[वाह8 से चार वष[पूव[के अͬधक समय कà न हो।

-- (1)ͪवǓनयम 66 (ख) अͬधसूचनासंÉया-75/30-2-2025-30-2099-83-2021, Ǒदनांक 13 जनवरȣ 2025 ((दसवा संशोधन)) Ǔनयमावलȣ, 2025 ɮवाराजोड़ा गयाजोउ×तरĤदेशअसाधारणगजट,ͪवǓनयम 66 (ख), Ǒदनांक 13 जनवरȣ 2025 कोĤकाͧशतहुआ (13.01.2025 सेĤभावी)।

(4)— सेवाǓनवृ×ͪ पर लिàबत काय[वाहȣ सेवाǓनवृ×त के Ǒदनांक से तीन माह के भीतर पूण[कया जाना अǓनवाय[होगा। यǑदͩकसी कारणवश काय[वाहȣ तीन माह के भीतर पूण[नहȣं हो पाती है, तो अǓतǐरÈत अवͬध हेतु अÚय¢, उ×तर Ĥदेश राÏय सड़क् पǐरवहन Ǔनगम (यूपीएसआरटȣसी) का अनुमोदन अǓनवाय[होगा।

(5)— सेवाǓनवृ×ͪ के पæचात संͥèथत कȧ गयी काय[वाहȣ, संͥèथत होनΛ से तीन माह के भीतर पूण[कया जाना अǓनवाय[होगा। यǑदͩकसी कारणवश काय[वाहȣ तीन माह के भीतर पूण[नहȣं हो पाती है, तो अǓतǐरÈत अवͬध हेतु अÚय¢, उ×तर Ĥदेश राÏय सड़क् पǐरवहन Ǔनगम (यूपीएसआरटȣसी) का अनुमोदन अǓनवाय[होगा।

(6)— इस ͪवǓनयम के अधीन दिǑडत कम[चारȣ को दǑडादेश के ͪवǾɮव, काय[रत कम[चाǐरयɉ कȧ भांǓत हȣ, अपील करने का अͬधकार होगा। अपील कȧĤͩĐया वहȣ होगी जो काय[रत कम[चाǐरयɉके ͧलए है।

Ǔनलàबन के ĤǓतसंहण के पæचचात वहालȣ पर वेतन आǑद

67 (1)ͩकसी ऐसे कम[चारȣ कȧ िजसके आचरण के ͪवǽɮध जाँच अनुÚयात हो या कȧ जा रहȣहो, Ǔनयुिèम Ĥाͬधकारȣ के ͪववेक से जांच कȧ समािÜत तक के ͧलए Ǔनलिàबत ͩकया जा सकता है:

परÛतु कोड[ɮवारा इस Ǔनͧम×त सशÈत कोई अÛय Ĥाͬधकारȣ भी ͩकसी कम[चारȣ को इस उप वǓनवम के अधीन Ǔनलिàबत कर सकता है:

परÛतु यह ओरͩक जब तक कम[चारȣ के ͪवǽɮध आरोप इतने गंभीर न होंͩक उनके ͧसɮध होने पर सामाÛयता भारȣ शािèत देनी पड़े तब तक Ǔनलàबन का Ĥयोग नहȣंͩकया जाना चाǑहए ।

(2)ͩकसी कम[चारȣ को िजसके सàबÛध मΛ या िजसके ͪवǽɮध आपराͬधक आरोप से सàबिÛधत कोई अÛवेषण, जांच या ͪवचारण लिàबत हो और आरोप Ǔनगम के कम[चारȣ के Ǿप मΛ उसकȧ पदिèथǓत से सàबɮध हो या उससे उमे अपने कत[åयɉ का पालन करने मΛ उलझन पड़ने कȧ सàभावना हो या उसमΛ नैǓतक अधमता अÛतĒ[èत हो, ऐसे Ǔनयुिèत Ĥाͬध- कारȣ के ववेक से िजसके अधीन वह सेवारत है, तब तक के ͧलए Ǔनलिàबत ͩकया जा सकता है जब तक ͩक उस आरोप से सàबिÛधत सभी काय[वाǑहयाँ समाÜत न हो जायΛ:

परÛतु बोड[ɮवारा इस Ǔनͧम×त सशÈत कोई अÛय Ĥाͬधकारȣ भी ͩकसी कम[चारȣ को Ǔनलिàबत कर सकता है।

(3) कोई भी कम[चारȣ-

(क) अपने Ǔनरोध के Ǒदनाँक मΛ, यǑद उसे अͧभर¢ा मΛ अड़तालȣस घÖटे से अͬधक अवͬध के ͧलये रोका जाय, चाहे Ǔनरोध अपराͬधक आरोप के ͧलए हो या अÛयथा और

(ख) अपनी दोषͧसɮͬध के Ǒदनाँक से, यǑद ͩकसी अपराध के ͧलए दोषͧसɮͬध कȧ िèथǓत मΛ उसे अड़तालȣस घÖटे से अͬधक कारावास का दÖड Ǒदया जाय और ऐसी दोफͧसɮͬध के

पǐरणामèवǾपउसेत×कालपदÍयुतन

कयाजाययाहटायानजाय,

ǓनयुिÈतĤाͬधकारȣकेआदेशसे, यथािèथǓत, Ǔनलिàबतसमझा जायेगा ।

कयागयायाǓनलिàबतबनारहा

èपçटȣकरण - इस उपͪवǓनयम के खÖड (ख) मΛǓनǑद[çट अड़तालȣस घÖटे कȧ अवͬध कȧ गणना दोषͧसɮͬध के पæचात् कारावास के Ĥारàभ से कȧ जायगी और इस Ĥयोजन के ͧलए कारावास कȧ अÛतराǓयक अवͬध कȧ भी, यǑद कोई हो, गणना कȧ जायेगी ।

(4) जहाँ ͩकसी कम[चारȣ पर आरोͪपत सेवा से पदÍयुत ͩकये जाने या हटाये जाने कȧशािèत इस ͪवǓनयमावलȣ के अधीन अपील मΛ अपाèत कर दȣ जाय और मामला अĒतर जाँच या काय[-वाहȣ के ͧलए या ͩकसी अÛय Ǔनदेश के साथ ͪवĤेͪषत ͩकया जाय, वहाँ -

(क) यǑद वह शािèत Ǒदये जाने के ठȤक पूव[Ǔनलिàबत रहा हो तो उसके Ǔनलàबन का आदेश, उपयु[Èत ͩकसी ऐसे Ǔनदेश के अधीन रहते हुए, पदÍयुत ͩकये जाने या हटाये जाने के मूल आदेश के Ǒदनांक को और उस Ǒदनांक से Ĥवृ×त बना रहा समझा जायेगा;

(ख) यǑद वह Ǔनलिàबत न रहा हो तो उसे, यǑद अपील Ĥाͬधकारȣɮवारा ऐसा Ǔनदेश Ǒदया जाय, पदÍयुत ͩकये जाने या हटाये जाने के मूल आदेश के Ǒदनाक को और उस Ǒदनांक सेǓनयुिÈतĤाͬधकारȣकेआदेशसेǓनलिàबतकयागयासमझाजायेगा:

परÛतुͩकसीमामलेमΛ, जहाँͩकसीकम[चारȣपरआरोͪपतसेवासेपदÍयुतͩकयेजानेयाहटायेजाने कȧ शािèत को इस ͪवǓनयमावलȣ के अधीन अपील मΛ उन आरोपɉ िजन पर उÈत शािèत आरोͪपत कȧगयी थी, के गुणावगुण के आधार पर अपाèत ͩकया गया हो बिãक उससे ͧभÛन ͩकसी आधार पर अपाèत कया गया होͩकÛतु मामले को अĒतर जाँच या काय[वाहȣ

के लए या कसी अÛय Ùनदेशकेसाथ वषेपत न कया गया हो, वहाँ इस उप वÙन- यम कं कसी बात का ऐसा अथ[न लगाया जायगा जो उÈत कम[चार8के वǽƨध उन आरोपɉ पर अÛतर जाँच होने तक Ùनलàबन के आदेश जार8 करने कà स¢म Ĥाधकार8 कàशिÈत को Ĥभावत करे, फर भी कोई ऐसा Ùनलàबन भूतल¢ी Ĥभाव से न कया जा सकेगा।

(5) जहां कसी कम[चार8 पर आरोपत सेवा से पदÍयुत कये जाने या हटाये जानेकà शािèत कसी Ûयायालय के वÙनæचय ɮवारा या उसके पǐरणामèवǾप अपाèत हो जाय या शूÛय घोषत कà जाय या शूÛय हो जाय और ÙनयुिÈत Ĥाधकार8 मामले कà पǐरिèथÙतयɉ पर वचार करके उन आरोपɉ पर िजन पर पदÍयुत कये जाने या हटाये जाने कà शािèत मूलतः आरोपत कà गयी थी, अÛतर जांच करने का Ùनæचय करे, चाहे आरोप अपने मूल Ǿप मɅ बने रहɅ या उÛहɅèपçट कया जाय या उनकं वशिçटयाँ अÍछZतरह वÙनǑद[çट कà जायɅ या उसके कसी अãप महƣव वाले भाग को Ùनकाल Ǒदया जाय ।

(क) यǑद वह शािèत Ǒदये जाने के ठȤक पूव[Ùनलिàबत हो तो उसके Ùनलàबन का आदेश ÙनयुिÈत Ĥाधकार8 के कसी Ùनदेश के अधीन रहते हुए, पदÍयुत कये जाने या हटाये जाने के मूल आदेश के Ǒदनांक को और उसी Ǒदनांक से Ĥवृƣ बना रहा समझा जायेगा;

(ख) यǑद वह इस Ĥकार से Ùनलिàबत न रहा हो तो उसे, यǑद ÙनयुिÈत Ĥाधकार8ɮवारा ऐसा Ùनदेश Ǒदया जाय, पदÍयुत कये जाने या हटाये जाने के मूल आदेश के Ǒदमांक को और उसी Ǒदनांक से स¢म Ĥाधकार8 के आदेश से Ùनलिàबत कया गया समझा जायगा ।

(6) (क) कोई भी Ùनलàबन िजसका आदेश इन वÙनयम के अधीन Ǒदया गया हो या Ǒदया गया समझा गया हो या िजसे Ĥवृƣ बना रहना हो तब तक Ĥवृƣ रहेगा जब तक क उप वÙनयम (1) मɅ वÙनǑदçट कसी Ĥाधकार8ɮवारा उपाÛतǐरत या वखिÖडत न कर Ǒदया जाय ।

(ख) जहाँ कोई कम[चार8 (कसी अनुशासÙनक काय[वाह8 के सàबÛध मɅ या अÛयथा) Ùनलिàबत कया गया हो या Ùनलिàबत कया समझा गया हो। और ऐसा Ùनलàबन जार8 रहने के दौरान उसके वǽƨध कोईअÛयअनुशासÙनककाय[वाह8Ĥारàभहोगयीहो।वहाँउसेÙनलिàबतरखनेके लएस¢मĤाधकार8 ऐसेकारणɉसेजोउसकेɮवाराअभलखत कयेजायɅगे, Ùनदेशदेसकताहै ककम[चार8ऐमीसमèतयाकÛह8ं भी काय[वाǑहयɉ के समाÜत होने तक Ùनलिàबत बना रहेगा ।

जीवनÙनवा[ह 68-(1) कोईकम[चार8जोसम¢Ĥाधकार8केकसीआदेशसेÙनलिàबतहोयाÙनलिàबतकयाभƣा गया समझा जाय, Ùनàनलखत भुगतान पाने का हकदार होगा, अथा[त्-

(क) जीवन Ùनवा[ह भƣा जो ऐसे छुȣट8 के वेतन कà धनराश के बराबर होगा जो कम[चार8 को ĤाÜत होता यǑद वह अƨध औसत वेतन अध[वेतन पर छुȣट8 पर होता, और इसके अǓतǐरÈत ऐसी छुȣटो के वेतन के आधार पर मंगाई भƣा, यǑद अनु£ेय हो :

परÛतु जहाँ Ùनलàबन कà अवध 180 Ǒदन से अधक हो जाय, वहां वह Ĥाधकार8 िजसने Ùनलàबन का आदेश Ǒदया था िजसे Ùनलàबन का आदेश देने वाला समझा जाय, Ĥथम 180 Ǒदन कà अवध के पæचात् कं कसी अवध के लए जीवन Ùनवा[ह भƣे कà धनराश मɅ Ùनàनलखत पǐरवत[न करने के लएस¢महोगा:-

(एक) जीबनÙनवा[हभƣेकàधनराशमɅयथोचतधनराशकàवृƨधजोĤथम180 Ǒदन कà अवध मɅ अनुमÛय जीवन Ùनवा[ह भƣे के 50 ĤǓतशत से अधक न होगी, उस दशा मɅ कàजा सकेगी जब उÈत Ĥाधकार8 कà राय मɅ Ùनलàबन कà अवध ऐसे कारणɉ से (िजÛहɅ अभलखत कया जायगा) लàबी हो गई िजनके लए कम[चार8 का सीधा दाǓयƣव नह8ं था।;

(दो) जीवन Ùनवा[ह भƣे कà धनराश मɅ यथोचत कमी, जो Ĥथम 180 Ǒदन कà अवध मɅ अनुमÛय जीवन Ùनवा[ह भƣे के 50 ĤǓतशत से अधक न होगा, उस दशा से कà जा सकेगी, जब उÈत Ĥाधकार8 कà राय मɅ Ùनलàबन कà अवध उन कारणो से (िजÛहɅ अभलखत कया जायगा) लàबी हो गई िजनके लए कम[चार8 का सीधा दाǓयƣव था;

(तीन) मंहगाई भƣे कà दर यथािèथǓत उपयु[Èत उपखÖड (एक) या (दो) के अधीन अनुमÛय जीवन Ùनवा[ह भƣे कà, बढ़ाई हुई या घटाई हुई धनराश पर अवधाǐरत होगी ।

(ख) ऐसे वेतन के आधार पर िजसे कम[चार8Ùनलàबन के Ǒदनाँक को पा रहा हो समय-समय पर अनुमÛय कोई अÛय ĤǓतकर भƣा :

परÛतु कम[चार8ĤǓतकर भƣे का तब तक हकदार न होगा जब तक कà उÈत Ĥाधकार8का यह समाधान न हो जाय क कम[चार8 वह åयय कर रहा है िजसके लए ĤǓतकर भƣा मंजूर कया गया हो।

(2) उप वÙनयम (1) के अधीन कोई भुगतान तब तक नह8ं कया जायगा जब तक क कम[चार8इस आशय का Ĥमाण-पğ Ĥèतुत न करे क वह कसी Ùनयोजन, कारोबार; वृƣ या åयवसाय मɅ नह8ं लगा है, यǑद जाँच करने पर ऐसा Ĥमाण-पğ गलत पाया जाय तो ÙनयुिÈत Ĥाधकार8 अÛतर भुगतान को रोक सकता ह¢:

परÛतु मेवा से पदांयुत कया गया या हटाया गया कोई कम[चार8 िजसे ऐसी पदांयुÜत या हटाये जाने के Öदनाँक से Ûनलिàबत रखा गया था Ûनलिàवत बना रहा समझा जाय और जो कसी अवध के िजसमΛ वह Ûनलिàबत रखा गया या बना रहा समझा जाय, ऐसा Ĥमाण-पğĤèतुत करने मΛ वफल रहे तो वह उतनी धनराश के बराबर जीवन Ûनवा[ह भƣा और अßय भƣɅ का हकदार होगा िजतनी कà ऐसी अवध मΛ उसके उपा[जन कà धनराश, उस जीवन Ûनवा[ह भƣा और अÛय भƣɅ कàधनराशसेजोअÛयथाअनुमÛयहोते,

कमहा,कÛतुयÖदजोवनÛनवा[हभƣाऔरअÛयभƣɅको धनराशउसकेɮवाराउपािज[तधनराशकेबराबरयाउससेकमहोतोइनपरÛतुकàकोईबातउसपर लागू नह8ं होगी।

(3) जहां जाँच कसी वाéय अभकरण ɮवारा कà जाय, या यथािèथÛत जहाँ कमचार8 के वæɮध वािÖडक काय[वाÖहयɅ का अÛवेषण, जाँच या वचारण कया जा रहा हो, वहाँ Ûनलàबन के Öदनाँक से Ĥथम 180 Öदन के लए जोवन Ûनवा[ह भƣा, या उसके मूल वेतन के आधे और उसके अÛतिÊबत ऐसे मंहगाई भƣा और अÛय ĤÛतकर भƣा िजसे वह पाने का हकदार होता यÖद वह छुɪट8पर होता, के बराबर होगा। यÖद काय[वाÖहयɅ मΛ वलàब हो ओर कम[चार8 180 Öदन के बाद Ûनलिàबत बना रहे तो ऐसी अवध के लए जीवन Ûनवा[ह भƣा मूल वेतन के तीन चौथाई और इसके अÛतǐरÈत ऊपर ÛनÖद[çट भƣɅ के बराबर होगा यÖद बह कसी जघÛय अपराध या नैÛतक अधमता मΛ सिàमलत न हो :

परÛतुयÖदऐसीजाँचयादािÖडककाय[वाह8180 Öदनकàअवधसेआगेऐसेकारणɉसेिजनकेलए कम[चार8 का सीधा दाÛय×व हो, बढ़ जाय तो 180 Öदन से अधक कà अवध के लए जीवन Ûनवा[ह भƣा उसके मूल वेतन के चौथाई और उसके अÛतǐरÈत ऊपर ÛनÖद[çट भƣɅ के बराबर होगा।]

[66—ख 1— Ûनयुिàत Ĥाधकार8 को कसी सेवा Ûनवृƣ कम[चार8, िजसने Ûनगम Öहतɉ के वǽɮव काय[कया हो, या Ûनगम को वƣ हाÛन पहंचायी हो, के सेवाÛनवृिƣक देयकɉ से या आय के कसी अÛय शीष[से वसूल8 कये जाने कà शिÈत होगी।

2— Ûनयुिàत Ĥाधकार8 को ऐसे सेवाÛनवृƣ कम[चार8 कà पेÛशन या उसके कसी आंशक भाग (पेÛशन योÊय पदो के मामले मΛ) को èथायी Ǿप से या कसी वÛनÖद[çट अवध के लए रोकनΛया वापस लेनΛ कà शिÈत होगी। और उसे ऐसे सेवा Ûनवृƣे कम[चार8ɮवारा Ûनगम को हुई कसी धनीय हाÛन कà पूर8 या आंशक वसूल8 देनΛ कà शिÈत् भी होगी।

परÛतु यह क यÖद Ûनगम को हुई वƣीय हाÛन कà वूसल8 पूवȾÈत ĤĐया के माÚयम से नह8ं कà जाती है, तो Ûनयुिàत Ĥाधकार8, Ûनगम को हुई वƣीय हाÛन कà वसूल8 के लए सवल Ûयायालय या अÛयथा से सàपक[कर सकता है।

3— ऐसी वभागीय काय[वाह8, यÖद कम[चार8 के सेवाÛनवृƣे से पूव[या पुनÛन[युिàत के दौरान Ǒयूट8 पर रहते हुए संिèथत नह8ं हुई हो तो:—

(एक) अÚय¢, उƣर Ĥदेश राÏय सड़क पǐरवहन Ûनगम (यूपीएसआरट8सी) के अनुमोदन के पæचचात ह8 संिèथत कà जायेगी।

(दो) केवल ऐसी घटना के लए संिèथत कà जायेगी जो ऐसी काय[वाह8 से चार वष[पूव[के अधक समय कà न हो।

4— सेवाÛनवृƣे पर लिàबत काय[वाह8 सेवाÛनवृƣ के Öदनांक से तीन माह के भीतर पूण[कया जाना अÛनवाय[होगा। यÖद कसी कारणवस काय[वाह8 तीन माह के भीतर पूण[नह8ं हो पाती है, तो अÛतǐरÈत अवध हेतु अÚय¢, उƣर Ĥदेश राÏय सड़क पǐरवहन Ûनगम (यूपीएसआरट8सी) का अनुमोदन अÛनवाय[होगा।

5— सेवाÛनवृƣे के पæचात संिèथत कà गयी काय[वाह8, संिèथत होनΛ से तीन माह के भीतर पूण कयाजानाअÛनवाय[होगा।यÖदकसीकारणवसकाय[वाह8तीनमाहकेभीतरपूण[नह8

होपातीहै, तोअÛतǐरÈतअवधहेतुअÚय¢, उƣरĤदेशराÏयसड़कपǐरवहनÛनगम(यूपीएसआरट8सी) का अनुमोदन अÛनवाय[होगा।

6— इस वÛनयम के अधीन दिÖडत कम[चार8 को दÖडादेश के वǽɮव, काय[रत कम[चाǐरयɉ कà भांÛत ह8, अपील करने का अधकार होगा। अपील कàĤĐया वह8 होगी जो काय[रत कम[चाǐरयɉ के लए है।

[68—क (1) जब Ûनलिàबत कम[चार8 को बहाल कया जाता है तो स¢म Ĥाधकार8 उसे Ûनलàबन कà अवध के लए Ûनàनलखत वेतन और भƣɅ कàèवीकृÛत दे सकता है:— (क) यÖद कम[चार8 पूण[Ǿप से आरोप मुÈत कर कया Öदया हो तो उसे पहले ह8 संदƣÛनवा[ह भƣे को घटाकर वह पूण[वेतन तथा भƣे िजसके लए वह यÖद Ûनलिàबत न कया गया होता तो हकदार होता;

(ख) अÛयथा, वेतन और भƣɅ का ऐसा अंश जैसा क स¢म Ĥाधकार8 उचत समझे। (2) उप वÛनयम (1) के खÖड (क) के अधीन आने वाले मामले मΛ काय[से अनुपिèथÛत कàअवध को काय[पर åयतीत कà गई अवध माना जायेगा। उप वÛनयम (1) के खÖड (ख) के अधीन आने वाले मामले मΛ काय[से अनुपिèथÛत कà अवध को तब तक काय[रत करने कà अवध नह8ं माना जायेगा जब तक क स¢म Ĥाधकार8 ऐसा ÛनÖदेशत न करΛ।

(3) जहां स¢म Ĥाधकार8 कȧ यह राय होक Ǔनलàबन पूण[तया Ûयायसंगतनहȣं था, वहां कम[चार8 को पूरा वेतन तथा समèत भƣे संदƣ कये जायɅगे िजसके लए वह हकदार होता, यǑद वह Ǔनलिàबत नहȣं कया गया होता:

परÛतु यह क जहाँ स¢म Ĥाधकार8 कȧ यह राय हो क कम[चार8 के वǽɮध संिèथत काय[वाǑहयɉ कȧ समािÜत मɅ Ĥ×य¢तः कम[चार8 के कारण वलàब हुआ है, वहाँ कम[चार8 को इस सàबÛध मɅ उसे तामील कȧ गई संसूचना के Ǒदनांक से साठ Ǒदन के भीतर अपना अßयावेदन देने का अवसर देने के पæचात और उसके ɮवारा Ĥèतुत अßयावेदन, यǑद कोई हो, पर वचार करने के पæचात उन कारणɉ से, जो अभलखत कये जायɅगे, यह Ǔनदȶश दे सकता है क कम[चार8 को ऐसे वलàब कȧ अवध के लए केवल ऐसे वेतन भƣे कȧ उतनी धनराश, जो सàपूण[राश न हो संदƣ कȧ जायेगी, िजतना वह अवधाǐरत करे।

(4) उप वǓनयम (3) के अधीन आने वाले मामले मɅ Ǔनलàबन अवध समèत Ĥयोजनɉके लए काय[पर åयतीत कȧ गयी अवध मानी जायेगी।

(5) स¢म Ĥाधकार8Ĥèताावत राश कȧ सूचना कम[चार8 को देने के पæचात और उसके ɮवारा इस सàबÛध मɅ ऐसी Ǔनयत अवध के भीतर, जो क नोǑटस तामील कये जाने के Ǒदनांक से साठ Ǒदन से अधक नहȣं होगी, Ĥèतुत अßयावेदन, यǑद कोई हो, पर वचार करने के पæचात कम[चार8 को Ǔनलàबन अवध हेतु संदƣ कये जाने वाले वेतन एवं भƣे का आदेश दे सकता है।

(6) जहाँ अनुशासǓनक काय[वाह8 अथवा Ûयायालय कȧ काय[वाǑहयɉ को अिÛतम Ǿप Ǒदये जाने तक Ǔनलàबन ĤǓतसंǿत कर Ǒदया जाय, वहाँ स¢म Ĥाधकार8ɮवारा काय[वाǑहयां पूर8 हो जाने के पæचात् èवĤेरणा से पुनव[लोकन कर सकेगा और ऐसे आदेश पाǐरत कर सकेगा जैसा वह उचत समझे।

----

(1)वǓनयम68—कअधसूचनासंÉया-75/30-2-2025-30-2099-83-2021, Ǒदनांक 13 जनवर8 2025 ((दसवा संशोधन)) Ǔनयमावल8, 2025 ɮवाराजोड़ा गयाजोउƣरĤदेशअसाधारणगजट, वǓनयम 68—क, Ǒदनांक 13 जनवर8 2025 कोĤकाशतहुआ (13.01.2025 सेĤभावी)।

(7) काय[वाǑहयɉ कȧ समािÜत पर स¢म Ĥाधकार8 यथावæयक ऐसे आदेश देगा क Ǔनलàबन कȧअवध कȧ वशçट अवध काय[पर åयतीत कȧ गयी अवध मानी जायेगी अथवा नहȣं मानी जायेगी:

परÛतु यह क स¢म Ĥाधकार8 यह आदेश भी दे सकता है क Ǔनलàबन कȧ ऐसी अवध को, कम[चार8 को देय और अनुमÛय कसी Ĥकार कȧ छु͠ी मɅ संपǐरवǓत[त कर Ǒदया जाये।"]

69-(1) कोईकम[चार8Ǔनयुि ÈतĤाधकार8या कसीअÛयĤाधकार8ɮवाराǑदयेगयेआदेशके अ

(2) अपीलकरनेवालाकम[चार8ऐसीअपीलअपनेनामसेकरेगा।अपीलके£ापनपğ मɅ समèत सारवान तØय और तक[Ǒदये जायɅगे िजन पर अपीलाथȸǓनभ[र करता हो ।

(3) अपील मɅ असंयत भाषा का Ĥयोग नहȣं कया जाएगा। कोई अपील िजसमɅ ऐसी भाषा का Ĥयोग कया गया हो, सरसर8 तौर पर खाǐरज कȧ जा सकेगी।

(4) अपील, अपील Ĥा धकार8 को सàबोधत कȧ जायेगी और सामाÛय उचत माÚयम के उस Ĥाधकार8 को िजसके आदेश के वǽɮध अपील कȧ जाय, Ĥèतुत कȧ जायेगी।

(5) अपील आदेश के Ǒदनाँक से तीन मास के भीतर Ĥèतुत कȧ जायेगी। आदेश के Ǒदमा[क से तीन मास के पæचात कÛतु छः मास के पूव[Ĥèतुत कȧ गई अपील, अपील Ĥाध- कार8ɮवारा èवीकार कȧ जा सकती है यǑद वलàब के लए पया[Üत कारण Ǒदया जाय । Ǔनधा[ǐरत समयकेबादĤèतुतकȧगयीअपीलसरसर8तौरपरखाǐरजकरद8जायेगी।

का जोड़ा जाना । वǓनयमावल8-69-अ [2][69—

(अ)इनवǓनयमɉमेअÛयथाकसीबातकेहोतेहुयेभीअÚय¢और ĤबÛध Ǔनदेशक, या उनकȧ अनुपिèथǓत मɅ उप Ĥबंधक Ǔनदेशक उƣर Ĥदेश राÏय सड़क पǐरवहन Ǔनगम, èवयं के Ĥèताव या अÛय आधार पर, कसी भी पद वमुÈत (डसमèड/Ĥदंयुत/ǐरमूåड) एवं Ǔनàनतर पद पर Ĥ×यावǓत[त कये जाने (ǐरडÈशन इन रɇक) से संबंधत मामलɅ के अभलेख, िजसे कसी अधीनèत Ĥाधकार8 ने वǓनयमɉ के अÛतग[त Ĥदƣ अधकार का Ĥयोग करते हुये Ǔनणȸत कया हो, मांगा सकता है और—

(क) Ĥाधकार8ɮवारा पाǐरत आदेश कȧ पुिçट पǐरवǓत[त

अथवा उसके ͪवपर8त Ǔनणȸत कर सकता है, अथवा

---------------- (1)ͪवǓनयम 69 (अ), Ǒदनांक30 फरवर8 2000(नौवा संशोधन) Ǔनयमावल8, 2000 ɮवारा ĤǓतèथाͪपतͩकया जो उƣर Ĥदेश असाधारण गजट,ͪवǓनयम 69 (अ), Ǒदनांक 30 फरवर82000 को Ĥकाͧशत हुआ (30.02.2000 से Ĥभावी)।

(ख) मामलΛमΛअĒेतरजांचके

लयेǓनदȶशतकरसकताहै, अथवा

(ग) आदेशमΛǑदयेगयेदÖडकोकमकरसकताहैयाबढ़ासकताहै, अथवा(घ) ऐसा कोई अÛय आदेश, जो उͬचत समझे पाǐरत कर सकता है:

परÛतु जब Ǒदये गये दÖड मΛ बढ़ोƣर8Ĥèताͪवत हो तो सàबिÛधत कम[चार8को एक अवसर दÖड मΛĤèताͪवत बढ़ोƣर8 के ͪवǾɮध कारण बताने का Ǒदया जायेगा:

परÛतु यह और भीͩक èवयं के Ĥèताव पर अथवा अÛयथा अͬधकार का Ĥयोग करते हुये र8जनल Ĥाधकार8 अपील मΛ पाǐरत आदेश कȧǓतͬथ के तीन माह के बाद कोई भी अͧभलेख नह8ं मंगायेगा।]

Êयारह-Ĥकȧण[

मकानकराया 70-कोईकम[चार8, बोड[केअनुमोदनकेअधीनरहतेहुए, ऐसामकान करायाभƣाऔरनगरभƣा और ĤǓतकर भƣा पाने का हकदार होगा जैसा राÏय सरकार ɮवारा अपने कम[चाǐरयɉ को समय-समय नगर ĤǓतकर पर Ǒदया जाय: भƣा

बोनस/अनुĒहधन- 71-कम[चार8को, बोनससंदायअͬधǓनयम, 1965 के, यǑदलागूहोउपबÛधɉकेअधीनराͧशͬचͩक×सा रहते हुए Ǔनगम ɮवाराͪवǓनæचत दर पर वाष[क बोनस/अनुĒह धनराͧश द8 जायेगी । सुͪवधा

72-(1) कम[चार8को ͬचͩक×सीयलाभऔरसुͪवधायΛउपलÞधहɉगी: परÛतुऐसेकम[चाǐरयɉको जो कम[चार8 राÏय बीमा योजना के अÛतग[त आते हɇ, उस Ǒदनाँक से इसका लाभ ͧमलेगा िजस Ǒदनाँक से राÏय सरकार कम[चार8 राÏय बीमा अͬधǓनयम, 1948 के Ĥवत[न से छूट दे।

(2) कम[चार8Ǒदल का दौरा, कɇ सर, तपेǑदक, æवास रोग, कुçट रोग आǑद ऐसे गंभीर रोग के मामलɉ मΛ बोड[ɮवारा Ĥाͬधकृत ͬचͩक×सा अͬधकार8 के Ĥमाण-पğ पर और ऐसे ͪवǓनयमɉ या Ǔनदेशɉके अधीन रहते हुए जैसा बोड[ɮवारा जार8ͩकया जाय, औषध Ðो समेत मूãय और कम[चार8 और उसके पǐरवार के सदèयɉ के Ĥाͬधकृत ͬचͩक×सा अͬधकार8ɮवारा पर8¢ा और जाँच के ͧलए ल8 गयी फȧस कȧ पूण[ĤǓतपूǓत[का हकदार होगा।

Ǔनःशुãकपास 73-(1) कम[चार8कोकेवलनगर¢ेğमΛअपनेǓनवासèथानसेकाय[èथानकोजानेऔर वहाँ से लौटने केͧलए Ǔनगम कȧ बस मΛ याğा करने केͧलए Ǔनःशुãक पास Ǒदया जायेगा। याğी कर कम[चाǐरयɉɮवारा वहनͩकया जाएगा।

(2) कम[चार8 को एक कैलेÖडर वष[मΛ दो Ǔनःशुãक पाǐरवाǐरक पास और तीन

पी०ट8०ओ० पाǐरवाǐरक पास Ǒदये जायΛगे।

(3) कम[चाǐरयɉ के ͪवɮयालय जाने वाले बÍचɉ को नगर बस मΛ ͪवɮयालय जाने और अपने Ǔनवास èथान को लौटने के ͧलए Ǔन शुãक पास Ǒदया जायेगा, ͩकÛतु याğीकर कम[चार8ɮवारा

वहन कया जायेगा।

ͪवͬधकसहायता 74-यǑद कसीकम[चार8परअपनेशासकȧयकत[åयकेसàयकपालनकेदौरानǓनगमके ǑहतमΛकृत कसीकाय[केकारण, भारतम कसीÛयायालयमΛअͧभयोजनचलायाजायतोउसे Ǔनगमɮवाराऐसे वǓनयमɉऔरǓनदेशɉकेअधीनरहतेहुएजैसाबोड[ɮवारासमय-समयपरजार8 कयाजाय,ͪवͬधकसहायताद8जायेगी।

(34)

दुघ[टनामΛघायल कम[चाǐरयɉ को ɬयूट8 पर माना जाना 75-यǑदकोईकम[चार8ɬयूट8करतेहुएदुघ[टनाकेपǐरणामèवǾपघायलया Ǔनशͩत हो जाय तो उसे ͬचͩक×सा करने वाले या ͪवǑहत ͬचͩक×साͬधकार8ɮवारा Ĥमाण-पğ देने पर ͬचͩक×सा उपचार कȧ अवͬध मΛɬयूट8 पर माना जायेगा। यह अवͬध एक

बार मΛ तीस ŏदन से अधक न होगी।

Ŭनःशİतकम[चार8का समायोजन

76-यŏदकसीकम[चार8केसåबÛधमΛिजलेकेमुÉय चक×साअधकार8या Ŭनगम ȱवारा वŏहत कसी चक×सा Ĥाधकार8ȱवारा यह Ĥमाण-पğŏदया जाय क वह कसी शार8ǐरक ¢Ǔत के कारण जो उसे उसके Ŭनयोजन के दौरान हुई, अपने सामाÛय कत[åय का पालन करने मΛ अ¢म या Ŭनःशİत हो गया है तो Ŭनयुिİत Ĥाधकार8 उसे कोई अÛय उपयुİत काम िजसके लए वह पाğ हो, दे सकता है: परÛतु यŏद कम[चार8 को उस पर Ĥयोÿय वध के अनुसार ĤǓतकर मलता है तो इस वŬनयम का उपवÛध लागू नह8ं होगा।

सेवाकालमΛमृतया अ¢म कम[चार8 के आĮृत को Ŭनयोजन

[1][77. जबसेवाकालमΛरहतेहुए कसीकम[चार8कåमृ×युहोजायतोउसकेपुğया उसके पǐरवार के कसी अÛय सदèय को, जो उस पर आĮृत हो, सेवा मΛ कसी पद पर समय समय पर यथासंशोधत उ×तर Ĥदेश सेवाकाल मΛ **मृत** सरकार8 सेवाओं के आĮतɉ कå भतȸ Ŭनयमावल8 1974 के उपबÛधɉ के अनुसार Ŭनयुİत कया जा सकता है।]

---

(1)वŬनयम 77 अधसूचनासंÉया-1022/2/c.g.m.t/96/156, ŏदनांक 30 सतåबर 1997 (पाँचवाँ संशोधन) Ŭनयमावल8, 1997 ȱवाराĤǓतèथापतकयागयाजोउ×तरĤदेशअसाधारणगजट,वŬनयम 77 (ग), ŏदनांक 30 सतåबर 1997कोĤकाशतहुआ (05.09.1997 सेĤभावी)।

काय[समय

78-कसीभीकम[चार8सेसामाÛयतयाएकŏदनमΛआठघÖटेसेअधकऔर एक सÜताह मΛ अड़ताल8स घÖटे से अधक काय[करने कå अपे¢ा नह8ं कå जायेगी।

अÛयğŬनयोजनके लए आवेदन पğ

79-ŬनगमकेबाहरअÛयğŬनयोजनचाहनेवालाकम[चार8अपनाआवेदनपğ स¢म Ĥाधकार8 के माÚयम से भेजेगा। स¢म Ĥाधकार8 ऐसे आवेदनपğ को कारण ŏदये ǒबना, रोक रखने का अधकार आर¢त रखता है।

अंशकालकŬनयोजन

80-कोईकम[चार8, जबवहसेवामΛया कसीअवधके लएछुɪट8परहो, स¢म Ĥाधकार8 कå पूव[èवीकृत के ǒबना कोई वाéय Ŭनयोजन न तो èवीकार करेगा और न चाहेगा। स¢म Ĥाधकार8 उपयुİत मामलɉ मΛ Ŭनगम कå अपे¢ाओं और ŏहत को Úयान मΛ रखते हुए काया[लय समय के बाद ऐसे Ŭनयोजन के लए अनु£ा दे सकता है।

81 (1) कम[चार8 काम पर पहुंचने और काय[-èथान से लौटने का समय, डयूट8 कå अवध, काय[के घÖटे आŏद अभलखत कये जाने से सåबिÛधत समय-समय पर जार8 कयेगयेअनुदेशɉकाअनुपालनकरेगा।

(2) दसमनटसेअधकदेरसेउपिèथǓतहोनेवालेकम[चार8स¢मĤाधकार8 के ववेकानुसार बाहर कर ŏदये जा सकेगΛ और उÛहΛ अनुपिèथत माना जा सकेगा। कम[चार8 कå उपिèथǓत इस Ĥयोजन के लए रखे गये समुचत रिजèटर मΛ चŏहÛत कå जायेगी। कसी ऐसे कम[चार8 को िजसे काय[समय मΛ अपने काय[èथल से बना अनु£ा के अनुपिèथǓत पाया जाय, यŏद वह अपनी अनुपिèथǓत के कारण को उचत Ǿप से èपçट न कर सके, सåपूण[ŏदन के लए अनुपिèथत माना जायेगा।

(3) कोई कम[चार8 स¢म Ĥाधकारो से पहले से अनु£ा लए ǒबना अपनी ɬयूट8 से अनुपिèथत नह8ं होगा। फर भी, अचानक बीमार8 या दुघ[टना जैसी वशेष पǐरिèथǓतयɉ मΛ कम[चार8 बाद मΛ कÛतु चौबीस घÖटे के भीतर अनुशा ले सकता है।

उपिèथǓत

(4) कोईभीकम[चार8जोआदतनदेरवेउपिèथतहोताहै, ऐसीशािèतकाभागीहोगाजैसीस¢म Ĥाधकार8 आरोपत करना उचत समझे और एक बास मΛ तीन ŏदन देर से उपिèथत होने पर उसकå एक ŏदन कå आकिèमक छुɪट8 या कोई अÛय देय छुɪट8 (यŏद आकिèमक छुɪट8 न हो) काट8जासकतीहै।

82 कोईकम[चार8ऐसेअधŬनयमɉ, Ŭनयमɉ, वŬनयमɉयाआदेशɉकेअनुसार, जोउस अवकाशऔरपर लागू हो, अवकाश और वĮाम ŏदन का हकदार होगा।

वĮाम

83 इस वŬनयमावल8म कसीĤǓतकूलबातकेहोतेहुएभी, उनåयिİतयɉकåजोराÏयसरकारउ×तर Ĥदेश राजकåय रोडवेज वभाग मΛ राÏय सरकार के कम[चार8 थे, सेवा कå शतȶ िजसके के कम[चाǐरयɉअÛतग[त Ïयेçठता, पदोÛनǓत, वेतन Ŭनधा[रण, छुɪट8 और Ŭनवृ×त लाभ से सåबिÛधत शतȶ भी ह¢, के

सàबÛध मΛÜनगम कà सेवा मΛ आमेलत क्कये जाने के पूव[कà शतJ से ॅभÛन न हjगी और सरकार8 आदेश ŏबशेष उपबÛध संÉया 3414/30-2-170-एन-72, Ŏदनांक 5 जुलाई, 1972 के उपबÛध लागू हjगे ।

84 बोड[केआदेशjकेअधीनरहतेहुए, ऐसेॅवषयjकेसàबÛधमΛ, जोइसॅवÜनयमावल8अßयवषयjया क्कसी अÛय ॅवÜनयमावल8 या समयसमय पर जार8 क्कये गये बोड[के आदेशj के अÛतग[त न

का ॅवÜनयमन आते हj, यथाि ेथÜत, राÏय सरकार के कम[चाiरयj पर लागू या राÏय सरकार के Ĥाधकार से जार8 क्कये गये Üनयमj या आदेशj के अनुǾप ॅवÜनæचय क्कया जायगा ।

पiरͧशçट "क"

सÉंया 3414/30-2-170-एन0-72

Ĥेषक,

Įी iगरजा Ĥसाद

पाÖडेय,

आयुÈत एवं सͬचव,

उƣर Ĥदेश शासन,

सेवा मΛ,

Ĥधान

ĤबÛधक

उƣर Ĥदेश राÏय सड़क पiरवहन Üनगम, लखनऊ ।

लखनऊ : Ŏदनांक 5 जुलाई, 1972

ॅवषय :- उƣर ĤदेशराÏय सड़कपiरवहन ÜनगमΛका गठन एवं पiरवहन संगठन के अधकाiरयj/कम[चाiरयj का उÈत Üनगम मΛ ͪवल8नीकरण ।

महोदय,

उƣरĤदेशराजकàयरोडवेजकेअÛतग[तकाय[करनेवालेअधकाiरयj/कम[चाiरयjकेराÏय पiर सड़क पiरवहन Üनगम कàèथापना के पæचात् Üनगम के अÛतग[त सेवाओं मΛ ͪवल8नीकरण अनु के सàबÛध मΛ शासनादेश संÉया 3000/30-2-170-एन0-72, Ŏदनाँक 7 जून, 1972 का संशोधन करते हुए मुझे Üनàनवत् कहने का Üनदेश हुआ है:

(1) उपरोÈत शासनादेश के पैरा 1 (1) मΛ (क) मΛŎदये गये Ĥाͪवधान के अनुसार वे समèत èथायी या अèथायी अधकार8 / कम[चार8 जो राÏय सड़क पiरवहन Üनगम के गठन के पूव[राजकàय रोडवेज कà सेवाओं मΛ थे, कà सेवायΛÜनगम मΛĤÜतÜनयुिÈत पर मानी जायेगी। इस ĤÜतÜनयुिÈतकàअभीकोईअवधÜनæचतनह8ंकàजारह8है।

(36)

(2) राÏयसड़कपiरवहनÜनगमनेरोडĚांसपोट[कारपोरेशनऐÈटकàधारा45 केअÛतग[त अपने अधीनèथ अधकाiरयj एवं कम[चाiरयj कà सेवा शतJ के सàबÛध मΛ अभी तक Üनयम नह8ं बनाये ह¢। इसͧलए उपरोÈत शासनादेश Ŏदनांक 7 जून, 1972 के ऊपर चͬच[त अनुÍछेद 1 (1) (क) को छोड़कर शेष अनुÍछेद अभी Üनरèत समझे जायेगे, क्कÛतु जब भी Üनगम ɮवारा सेवा शतJ के Üनयम बनाये जायΛगे तो उनमΛ शासन का यह आæवासन समाͪवçठ होगा क्क Üनगम के अधीन अधकाiरयो/कम[चाiरयj कà सेवा शतɏ क्कसी भी दशा मΛ उन शतJ मΛ हेय न हjगी जो इÛहΛ सिàवलयन से पूव[उƣर Ĥदेश राजकàय रोडवेज के अधीन उपलÞध थी तथा सरकार8 सेवा काल, Üनगम के अधीन इनकà वर8यता, ĤोÛनÜत, बेतन Üनधा[रण, अवकाश सàबÛधी हक तथा Üनवृƣीय लाभ उसी Ĥकार ͪवचाय[होगा जैसा क्क इनकàसरकार8सेवामΛबनेरहनेपरहोते।

भवद8य,

गरजा Ĥसाद पांडे

आयुÈत एवं सͬचव ।

अनुलÊनक 'ख'

[ॅवÜनयम 8 (1) देͨखये]

1-अधकार8,	ऐसेपदिजनकेवेतनमानकाअधकतम1200 æ०ĤÜतमाहसेअधकहो--	स
2-अधकार8:	ऐसेपदिजनकेवेतनमानकाअधकतम1200 æ०ĤÜतमाहअधकनहो--	समूह
3-सहायक अधीनèथ, ͧलपक वग[इ×याŎद :	ऐसेपदिजनकेवेतनमानकाÛयूनतमĤÜतमाह200 æ०याअधकहो(अÚयापकjकोभीइससमूह के अÛतग[त वगȸकृत क्कया जायगा भले ह8 उनका Ĥारिàभक वेतन क्कतना ह8 Èयj न हो यहाँ तक क चाहे 200 æ० ĤÜतमाह से भी कम हो)	स

4-अÛय: शेषसभीअÛयपद स

ŏटÜपणी ।--ͩकÛतु बोडᭅͩकसीͪवͧशçट वग[या वगɟ के पदɉ के सàबÛध मΛ वगȸकरण मΛ पǐरवत[न कर सकता

है।

(37)

अनुलÊनक "ग"

(ͪवǓनयम 10 के नीचे ŏटÜपणी देͨखये।

[एक] यातायात और कम[शाला प¢ से सàबƨध

1-चौकȧदार

2-पानी वाला (वाटर Þयाय)

3-पहरा चौकȧ (वाच एÖड वाड[)

36-बढ़ईĮेणी"क" (कारपेÛटरÊेड"ए")

37-गƧद8 बनाने वाला (अपहोलसटर)

38-गƧद8 बनाने वाला Įेणी "ख"

4-चपरासी (Üयून) (अपहोलसटर Êेड "बी")

5-मजदूर

6-ͧभæती

7- मेहतर (èवीपर)

39-गƧद8 बनाने वाला Įेणी "क"

(अपहोलसटर Êेड "ए")

40-वेãडर

8-यातायात Èल8नर (Ěैͩफक Èल8नर) 41-वेãडर Įेणी "ख"

9-Èलोनर 42-वैãडर Įेणी "क"

10-माल843-टन[र

11-कÖडÈटर 44-टन[र Įेणी "a"

12-कÖडÈटर Įेणी "क"

13-कǓनçठͧलपक (जूǓनयर Èलक[ )

14-Ïयेçठͧलपक (सीǓनयर Èलक[ )

15-सहायक आउट एजेÛसीͧलपक

(अͧसèटेÛट आउट एजेÛसी कलक[ ) 16-आउट एजेÛसीͧलपक

17-Ĝाइवर

18-Ĝाइवर Įेणी "ख"

19-डाइवर Įेणी "क"

20-Ĝाइवर अनुदेशक (Ĝाइवर इÛèĚÈटर) 21-यातायात Ǔनर8¢क (Ěैͩफक इÛसपेÈटर) 22-सहायक रोकͫड़या (अͧसèटेÛट कैͧशयर) 23-रोकͫड़या(कैͧशयर)

45-टन[र Įेणी "क"

46-लोहार (Þलैक िèमथ)

47-लोहार Įेणी "ख" Þलैक िèमथ Êेड "बी")

48-लोहार Įेणी "क" (Þलैक िèमथ Êेड "ए")

49-सहायक वãकैनाइजर

50-वãकैनाइजर

51-वãकैनाइजर Įेणी "ख"

52-वãकैनाइजर Įेणी "क"

53-कलईगर (ŏटन िèमथ)

54-कलईगर Įेणी "ख" (ŏटन िèमथ Êेड "बी"

55-कलईगर Įेणी "क" (ŏटन िèमथ Êेड "ए")

56-सहायक ͪवɮयुतकार (अͧसèटेÛट इलेÈĚȣͧशयन) 57-ͪवɮयुतकार(इलेÈĚȣͧशयन)

24-Ĥधानरोकͫड़या(हेडकॅͧशयर)

25-मुÉय रोकͫड़या (चीफ कैͧशयर)

26-मोची

27-मोची Įेणी "क"

28-Èल8नर

29-हैमर मैन
30-हैमर मैन Į◌ेणी "क"
31-पΛटर
32-पΛटर Į◌ेणी "ख"
33-पΛटर Į◌ेणी "क"
34-बढ़ई (कारपेÛटर)
35-बढ़ईĮ◌ेणी"ख" (कारपेÛटरĒ◌ेड"बी")
58-सहायकĒ◌ाँǿĝक(मेकेǓनक) (आèसèटेÛटमेकेǓनक) 59-यांǿĝक (मेकेǓनक)
60-ͩफटर यांǿĝक/वɮयुत) ͩफटर (मेके /इले०)
¹[61-सहायक भÖडारपाल (अèसèटΛट èटोर कȧपर)
62-èटोर कȧपर
63-Ïयेçठ èटोर कȧपर (सीǓनयर èटोर कȧपर)
64-अकुशल (अनिèकãड)
65-अƨ[धकुशल (सेमी ि◌èकãड)
66-कुशल (ि◌èकãड) 67-ͪवशेष£ (èपेशलèट)
68-ͪवशेष£Į◌ेणी "एक" (èपेशलèट Ē◌ेड I)
69-बाडी Ǔनमा[ण पय[वे¢क (बाडी ǒबिãडग सुपर-वाइजर) 70-टायरǓनर¢क(टायरइÛसपेÈटर)

----

(1) ͪवǓनयमभाग-1, Đमांक 61 अͬधसूचनासंÉया-556/30-22025-30-2099-121-2022, Ǒदनांक 2 जून 2025 (Êयारहवांसंधोधन) Ǔनयमावलȣ, 2025 ɮवाराĤǓतèथाͪपतकयागयाजोउƣरĤदेशअसाधारणगजट, ͪवǓनयम भाग-1, Đमांक 65, Ǒदनांक 2 जून 2025कोĤकाशतहुआ (13.06.2025सेĤभावी) ।

(38)

[दो] सȧभाग केÛġȣय कम[शाला केÛġȣय èटोर और ऐलेन फारेèट मΛ

1-दÝतरȣ
2-जमादार
3-बÖडल/खाता-बहȣ उठाने वाला (बÖडल/लेजर ͧलÝटर) 4-अद[लȣ चपरासी (अद[लȣ'Ûपून)
5-चपरासी
6-पानी वाला (वाटर Ħाय)
7-चौकȧदार
26-आशुलेखक(èटनोĒ◌ाफर)
27-आशुलेखक Į◌ेणी एक (èटेनोĒ◌ाफर Ē◌ेड 1)
28-काया[लय अधी¢क
29-कǓनçठ ͧलपक इन पदɉ को Đमशः ओ.ए जी Į◌ेणी दो और एक मΛ
30-Ïयेçठ ͧलपक पǐरवǓत[त ͩकया जायगा ।
31-कǓनçठ रोकͫडया (जूǓनयर कैͧशयर) सहायक रोकͫड़या (अèसèटेÛट कैͧशयर) कहा जायगा ।
32-Ïयेçठ रोकͫड़या (सीǓनयर कैͧशयर) रोकͫड़या
8-मेहतर (èवीपर)
9-मजदूर
10-मेहतर-सह चौकȧदार (èवीपर कम चौकȧदार)
11-रेलवे दफादार
12-कोषागार चपरासी (Ĕ◌ेजरȣÛयून)
13-काया[लय सहायक Į◌ेणी-दो (आͩफस अèसèटेÛट Ē◌ेड-11) 14-काया[लय सहायक Į◌ेणी-एक (आͩफस Ē◌ेड ।
15-सहायकरोकͫड़या(अèसèटेÛटकैͧशयर)
(कैͧशयर) कहा जायगा।
33-Ĥधान टाइमकȧपर (हेड टाइमकȧपर)
34-लेखा ͧलपक (एकाउÛटस् Èलक[ )
35-सहायक गेट साजɅट
36-गेट साजɅट
37-भÖडारअधी¢क(इसमΛĤधानèटोरकȧपरऔर
16-रोकͫड़या(कैͧशयर)
17-Ĥधान रोकͫड़या (हेड कैͧशयर)
18-मुÉय रोकͫड़या (चीफ कैͧशयर)
19-लेखाकार (एकाउÛटेÛट)
20-Ïयेçठ लेखाकार (सीǓनयर एकाउÛटेÛट)

21-ÏयेƒठलेखाकारÌेणी 'एक' (सीǓनयर एकाउÛटेÛट Ēेड ।) 22-संकलनकता[(कàपाइलर)
23-सांिÉयकàय सहायक (èटेटǐèटकल असèटÛट)
24-उप लेखक-Ĥितलेखक (नोटर एÖड Ĝाइटर)
25-Ĥधान ͧलͪपक (हेड Ēलक[ )

अधीƐकआरǔतथाडीǔसिàमͧलतहै)
38-èटाफ नस[पुǽष
39-कàपाउÖडर
40-ĤǓवेधक सहायक
41-शोध सहायक
42-कǓनƵ फोरमैन
43-Ïयेƴ फौरमैन Ìेणी दो
44-Ïयेƴ फोरमैन Ìेणी एक
¹[45-केÛġĤभारȣ (èटेशन इंचाज[)
46-Ïयेƴ èटेशन Ĥभारȣ, िजसमΛ èटेशन माèटर, आउट एजेÛनी सिàमलत है।
47-यातायात अधीƐक
48-èटेशनअधीƐक

---

(1) ͪवǓनयमभाग-2, Đमांक 45 अͬधसूचनासंÉया-556/30-22025-30-2099-121-2022, Ǒदनांक 2 जून 2025 (Êयारहवांसंशोधन) Ǔनयमावलȣ, 2025 ɮवाराĤǓतèथाͪपतकयागयाजोउƣरĤदेशअसाधारणगजट, ͪवǓनयम भाग-2, Đमांक 45, Ǒदनांक 2 जून 2025कोĤकाͧशतहुआ (13.06.2025सेĤभावी) ।

[तीन] मुÉयालय

1-मेहतर(èवीपर) 14-कǓनƵलेखाकार2-मालȣ 15-Ïयेƴ लेखाकार
3-फरा[स
4-पानी वाला (वाटर Þयाय)
5-चौकàदार
6-चपरासी (Ǒपून)
7-अद[लȣ चपरासी (अद[लȣǑयून)
8-बÛडल/खाता बहȣ उठाने वाला (बÖडल/लेजरͧलÝटर) 9-जमादार
10-दÝतरȣ
11-अवर वग[ͧलͪपक
12-Ĥवर वग[ͧलͪपक
13-उपलेखकĤितलेखक(नोटरएÖडĜाइटर)
16-लेखाकार (वाͨणÏयक)
17-आशुलेखक (èटेनोĒाफर)
18-आशुलेखक ͪवशेष Ìेणी (èटेनोĒाफर èपेशलĤेड) 19-सहायक रोकͫड़या (असèटेÛट कैͧशयर)
20-रोकͫड़या (कैͧशयर)
21-Ĥधान रोकͫड़या (हेड कैͧशयर)
22-मुÉय रोकͫड़या (चीफ कैͧशयर)
23-संकलनकता[(कàपाइलर)
24-सांिÉयकàय सहायक (èटेǑटèटकल असèटेÛट) 25-Ĥधान ͧलͪपक
26-सांिÉयकàयअधीƐक(èटेǑटèटकलअधीƐक) 39)

अनुलÊनक "ध"

[ͪवǓनयम 17 देͨखये]

ͬचͩक×सा Ĥमाण पğ

मƐ, एतɮवाराĤमाͨणतकरताहूं कमƐनेÌी/Ìीमती/कुमारȣ-------------------------------का, जो उƣर Ĥदेश राÏय सड़क पǐरवहन Ǔनगम मΛ Ǔनयोजन के ͧलए अßयथȸ है, परȣƐण ͩकया है और उनमΛ कोई बीमारȣ, शरȣर रचना सàबÛधी कोई दुब[लता या शारȣǐरक अशÈतता नहȣं पाई है ͧसवाय --- के जो मेरे ͪवचार से, उƣर Ĥदेश राÏय सड़क पǐरवहन Ǔनगम मΛ Ǔनयोजन के ͧलए कोई अनह[ता नहȣं है। अßयथȸ कà आयु उसके अपने कथन के अनुसार -- वष[है और देखने से ------------------ वष[लगती है।

मुÉय ͬचͩक×सा अͬधकारȣ/ ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ।

अनुलÊनक "इ"

(वŬनयम 24 देिखए)

घोवणा-पğ

"क"

(ऐसेåयिĖतयįके लएिजनकेėवाम×वमΛकोईėथावरसàपǒ्नह8ंहै)

म¢, एतɮɮवारा घोषणा करता हूंक मेरे पास कोई ėथावर सàपǒ् नह8ं है। यŎद मै एतɮवारा कोई ėथावर सàपǒ् अिजत कǾंगा तो म¢ उस Ŏदनाँक के जबकसी सàपǒ् का Ĥोदभूतकया जाना मेर8 जानकार8 मΛ आये, एक माह के भीतर ऐसे तØय कà घोषणा कǾंगा ।

हėता¢र----------------------

पदनाम----------------------

Ŏदनांक---------------------

(40)

अनुलÊनक "ड"

(वŬनयम 24 देिखये)

"खा"

(ऐसे åयिĖतयį के लये िजनके ėवाम×व मΛėथावर सàपǒ् है)

भू-सàपǒ्

Ŭनàनलिखत मΛधृतभूम			¢ेğफल एकड़ मΛ	अिजतयावाषǓक पैतृक राजėव	अनुमाŬनत मूãय	अßयुिĖत
िजला	तहसील	Ēाम				
1 2 3	4	5	6 7	8		

गृह सàपǒ्

Ŭनàनलिखत मΛ िėथत			गृह संÉया	अिजत Ĥयुिĕतकया जाता है या पैतृक	आवासक Ĥयोजनके लए कराया पर उठाने केलए	वाėतवक कराया	अनुमाŬनत मूãय	अßयुिĖत
कम संÉया	Ēामनगर या शहर	िजला						
1	2 3 4 5	6	7	8	9	10		

हėता¢र----------------------

पदनाम----------------------

Ŏदनांक----------------------

अनुलÊनक "च"

(वŬनयम 24 देिखये)

Ŭनçठा-शपथ

म¢ एतɮɮवारा स×य भाव से घोषणा करता हूंक म¢ सदैव अपने को उǒर Ĥदेश सड़क पǐरवहन Ŭनगम कà सेवा मΛ Ŭनçठा और स ɮभाव से लगाऊंगा और म¢ सदैव उसके मामलį कà गोपनीयता बनाये रखूंगा औरकसी ऐसी सूचना को जो अपने कतåयį का पालन करने मΛ या अÛयथा मेर8 जानकार8 मΛ आयेगी, Ĥकट नह8ं कǾंगा।

हėता¢र-----------------------

पदनाम-----------------------

Ŏदनांक---------------------

आ£ा से

कनɪलसंह

सचिव

(41)

उ०ार Ĥदेश सरकार

ŗम अनुभाग-3

संÉया-222/36-3-1 (एस.ओ.) /90

लखनऊ: Ŏदनाँक 12 अĤैल 1991

साधारण खÖड अधÜनयम 1897 (अधÜनयम संÉया 10 सन् 1897) कà धारा 21 के साथ पŎठत औıयोगक Üनयोजन (ėथायी आदेश) अधÜनयम, 1946 (अधÜनयम सÉया-20 सन 1946) कà धारा 13-ख के अधीन शिĖत का Ĥयोग करके और सरकार8 अधसूचना संÉया-858/36-3-1 (एस.ओ.) / 90, Ŏदनांक 19 सतàबर, 1990 का अÜतĐमण करके राियपाल अधसूचत करते हुए क सड़क परिवहन Üनगम अधÜनयम, 1990 (अधÜनयम संÉया 64 सन् 1950) कà धारा 45 कà उपधारा (2) के खÖड (ग) के अधीन बनायी गयी उ०ार Ĥदेश राïय सड़क परिवहन Üनगम कम[चार8 (अधकारिय से भÛन) सेवा Üनयमावल8, 1981 उ०ार Ĥदेश- राïय सड़क परिवहन Üनगम मΛÜनयोजित कम[कार पर लागू होगी।

आशा से,

मोŎहàदर सिंह

सचिव